nidm
Resilient India - Disaster Free India

सत्यमेव जयते

टाइडिंग्स

एनआईडीएम पत्रिका-04/2026

जुलाई-सितंबर, 2026









राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वेबसाइट https://nidm.mha.gov.in

/nidmmhaindia /nidmmhaindia /nidmmha /nidmindia /nidmmhaindia

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत भारत और इस क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में भूमिका निभाने के दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इस दिशा में जो प्रयास वर्ष 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनसीडीएम) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी, उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में फिर से नामित किए जाने के बाद और अधिक गति प्राप्त हुई।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन एवं पॉलिसी एडवोकेसी से संबंधित नोडल जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा के केंद्र में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान का मानना है कि सभी हितधारकों की सहभागिता से ''रोकथाम की संस्कृति'' को बढ़ावा देकर ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण संभव है। एनआईडीएम केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, देश-विदेश की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों क माध्यम से कार्य करता है।

एनआईडीएम को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अलग-अलग पहलुओं पर कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स की मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम पर गर्व है। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को सुगम बनाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत, संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें क्लास रूम, सेमिनार हॉल, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर एक सुव्यवस्थित और समृद्ध पुस्तकालय भी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एनआईडीएम विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को क्षमता निर्माण में सहयोग भी प्रदान करता है। संस्थान का दृष्टिकोण आपदा रोकथाम एवं तैयारी के लिए सभी स्तरों पर क्षमता का निर्माण कर एक आपदा-रोधी भारत का निर्माण करना है।

NIDM पत्रिका 04/2026

जुलाई–सितंबर, 2026

संपादकीय मंडल

प्रधान संपादक
श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

संपादक
डॉ. अजिंदर वालिया
एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम

संपादकीय सहायता
(डिजाइन एवं प्रस्तुति)
सुश्री नाज़िया खान
वरिष्ठ परामर्शदाता, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, एनआईडीएम

सह-संपादक
डॉ. रविन्द्र सिंह
वरिष्ठ परामर्शदाता, एनआईडीएम
डॉ. कुंदन देवल
परामर्शदाता, एनआईडीएम
निशांत बोधवानी
परामर्शदाता, एनआईडीएम

अनुवादक
संजय कुमार
परामर्शदाता, राजभाषा

विषय सूची

1.	संदेश	2
2.	संस्थान निकाय बैठक 2026	3
3.	आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम	4
4.	सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/परामर्श बैठक	21
5.	अन्य संस्थागत क्रियाकलाप	28
6.	विषयगत दृष्टिकोण	32
7.	एनआईडीएम प्रकाशन	43
8.	एनआईडीएम की सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री	44

आंतरिक विषय-वस्तु

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए 5वाँ ITEC कार्यक्रम, 03-14 अगस्त 2026, दिल्ली **7**



ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28 सितंबर-01 अक्टूबर 2026, विजयवाड़ा **20**



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला, 15 जुलाई 2026, बिहार **21**



पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की मसौदा आपदा प्रबंधन योजना पर द्वितीय परामर्श बैठक, 21 सितंबर 2026, एनआईडीएम, दिल्ली **26**



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

कार्यकारी निदेशक का संदेश



प्रिय पाठकों,

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ मैं टाइडिंग्स का जुलाई–सितंबर 2026 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अवसर पर अपने सहयोगी संस्थानों, भागीदारों एवं हितधारकों से पुन: जुड़ना मेरे लिए गर्व एवं हर्ष का विषय है।

इस तिमाही के दौरान एनआईडीएम ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान, ज्ञान–विकास और संस्थागत सहयोग के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एनआईडीएम के संस्थान निकाय की तीसरी बैठक रही। इस बैठक में संस्थान की विभिन्न पहलों की समीक्षा की गई तथा आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

इस के अतिरिक्त आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन, भूकंप जोखिम न्यूनीकरण, औद्योगिक आपदा प्रबंधन, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विद्यालय सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यकर्मों सहित उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2–क्रेडिट कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम से संबंधित संकाय विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए पाँचवें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) प्रशिक्षण कार्यक्रम में 19 सहयोगी देशों के प्रतिभागियों के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव एवं ज्ञान साझा किया गया।

सरकारी विभागों, तकनीकी संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को जलवायु अनुकूल बनाने, औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन, भू–स्थानिक तकनीकों, आपदा प्रबंधन योजना और डिजिटल प्रणालियों जैसे विषयों पर कार्यशालाओं एवं परामर्श बैठकों के माध्यम से सहयोग को सुदृढ़ किया गया। इन प्रयासों ने वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक को व्यावहारिक निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने के महत्व को रेखांकित किया।

इस अंक में संकलित गतिविधियाँ आपदा–पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने, जोखिम–सूचित विकास को बढ़ावा देने तथा विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण के प्रति एनआईडीएम की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। मैं अपने सभी सहयोगियों, विशेषज्ञों और हितधारकों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमें मिलकर तैयारी, जागरूकता और सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्कृति को मजबूत करना है, ताकि एक सुरक्षित, सशक्त और आपदा–प्रत्यास्थ विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके ।

मधुप

मधुप व्यास, भा.प्र.से.

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एनआईडीएम के संस्थान निकाय की तीसरी बैठक, 10 सितंबर 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संस्थान निकाय की तीसरी बैठक 10 सितंबर 2026 को दिल्ली स्थित एनआईडीएम परिसर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख नीति-निर्माताओं, केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों तथा विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस दौरान एनआईडीएम की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करने की भावी रणनीतिक दिशा पर विचार-विमर्श किया गया।

अपने संबोधन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री पिछले 12 वर्षों में भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को प्रमुखता से रेखांकित किया । देश ने राहत एवं बचाव पर केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, तैयारी और रोकथाम पर आधारित सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। आपदाओं में "शून्य जनहानि" के लक्ष्य पर बल देते हुए उन्होंने संपूर्ण सरकार एवं संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों में समर्पित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा उनकी त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। प्रत्येक बड़ी आपदा के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), एनआईडीएम तथा राज्य आपदा मोचन बलों (एसडीआरएफ) की संयुक्त टीमों द्वारा क्षति का विस्तृत अध्ययन करने पर भी जोर दिया गया, ताकि कमियों की पहचान कर भविष्य में रोकथाम एवं जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके ।

बैठक में एनआईडीएम का विजन दस्तावेज़ 2026-2031 जिसका शीर्षक "आपदा-रोधी भारत का निर्माण: आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र" है, को प्रस्तुत किया गया । इसमें ई-लर्निंग के विस्तार और संस्थागत पुनर्गठन सहित 34 रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बैठक में संस्थान की उपलब्धियों एवं प्रगति की भी समीक्षा की गई। इनमें अप्रैल 2026 में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा एनआईडीएम की रेटिंग 2-स्टार से बढ़ाकर 4-स्टार किया जाना, दिल्ली परिसर को ISO 14001 ग्रीन कैंपस प्रमाणन प्राप्त होना तथा व्यापक जनसंपर्क एवं क्षमता निर्माण कायक्रम के अंतर्गत देशभर में लगभग 31,000 ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित किया जाना प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य एवं जिला स्तर पर सुदृढ़ मास्टर ट्रेनर तंत्र विकसित करने की योजनाओं की समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य छह माह की अवधि में व्यावहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य जिला आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करना है। बैठक का समापन विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय सुदृढ़ करने, विज्ञान-आधारित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक आपदा-प्रत्यास्थता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दिल्ली परिसर

द्वितीय मास्टर ट्रेनर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, 29 जून-10 जुलाई 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	विकास तथा आपदा प्रबंधन संबंधी समग्र योजना में जोखिम के प्रति जागरूक और आपदा-प्रत्यास्थता पर आधारित रूपरेखाओं को समाहित करने की क्षमता को सुदृढ़ किया जाए।
ख)	भारत के बहु-आपदा जोखिम परिदृश्य की व्यावहारिक समझ को और गहन बनाना तथा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता (HRVC) आकलन करने से संबंधित उन्नत दक्षताओं का विकास हो।
ग)	संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन उपायों की समझ को सुदृढ़ करना तथा 16वें वित्त आयोग के प्रावधानों सहित समकालीन आपदा वित्तपोषण व्यवस्थाओं के साथ उनका प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित किया जाए।
घ)	वयस्कों के सीखने के सिद्धांतों तथा संवादात्मक शिक्षण-पद्धतियों में दक्षता बढ़ाना और प्रभावी ज्ञान हस्तांतरण के लिए अभ्यास, केस स्टडी तथा उन्नत प्रशिक्षण-संचालन तकनीकों का उपयोग हो।
ङ)	समूह चर्चा, भूमिका-अभिनय, अभ्यास, केस स्टडी तथा अन्य व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण संबंधी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया जाए।
च)	प्रशिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखने, प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने तथा व्यवस्थित सत्र-योजना बनाने के कौशल में सुधार किया जाए।

आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13-17 जुलाई 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझना, जिसमें आपदा से पहले की तैयारी, त्वरित आकलन, संयुक्तरूप से क्षेत्र का सत्यापन और विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत आकलन शामिल है। इन सभी चरणों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने के लिए समग्र पुनर्बहाली की रूपरेखा तैयार की जाए।
ख)	शिक्षा, जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (वाश) और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षति एवं नुकसान के आकलन तथा पुनर्बहाली की आवश्यकताओं के आकलन (आरएनए) के लिए एक समान प्रारूपों का उपयोग कर आकलन प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
ग)	आकलन की पूरी प्रक्रिया में लैंगिक समानता, दिव्यांगता, आयु और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करना, जिससे कि पुनर्बहाली की योजना सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जा सके और कोई भी पीछे न छूटे। साथ ही, 'बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण' (Build Back Better) की अवधारणा को बढ़ावा देते हुए बुनियादी ढाँचे और आजीविका का अधिक सुरक्षित, मजबूत, आपदा-रोधी और जलवायु के अनुकूल तरीके से पुनर्निर्माण किया जाए।
ङ)	परिवार और समुदाय स्तर पर आकलन के माध्यम से पुनर्बहाली की योजना को मजबूत करना। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आजीविका से जुड़े तथा अन्य गैर-आर्थिक प्रभावों को शामिल करना और पीडीएनए के व्यापक स्तर पर किए गए निष्कर्षों को अधिक प्रभावी बनाना।
च)	स्पष्ट और एक समान प्रारूप वाली पीडीएनए रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें क्षति एवं नुकसान का आकलन, मानव पुनर्बहाली आवश्यकताओं का आकलन (एचआरएनए), विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त निष्कर्ष, महत्वपूर्ण विषय, पुनर्बहाली की रणनीतियाँ और वित्तीय योजनाएँ शामिल हों तथा इनके आधार पर पुनर्बहाली के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जा सके ।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन (एसबीसी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 22-24 जुलाई 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए न केवल मज़बूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, बल्कि जानकारीपूर्ण और लगातार व्यवहार परिवर्तन की भी आवश्यकता है। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन जोखिम के प्रति जागरूक समुदायों को बढ़ावा देकर तैयारी और प्रत्यास्थता की संस्कृति बनाने में मदद करता है।
ख)	अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय डीआरआर-एसबीसी टूलकिट को स्थानीय खतरों, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों और संस्थागत तंत्रों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है।
ग)	पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा प्रतिक्रिया में जनता का भरोसा मज़बूत करने के लिए संचार, सामुदायिक प्रतिक्रिया और अफ़वाह प्रबंधन के महत्व पर ज़ोर दें।
घ)	असम के अनुभव ने राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायतों तक एसबीसी को संस्थागत बनाने का एक व्यावहारिक मॉडल दिखाया, जो इसे अन्य जगहों पर लागू करने के लिए मूल्यवान सीख देता है।

जवाहर नवोदय विद्यालय के उप-प्रधानाचार्यों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27-31 जुलाई 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	सभी विद्यालयों में व्यापक विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाएँ (एसडीएमपी) तैयार की जाएँ और आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित टीमों को सक्रिय किया जाए।
ख)	विद्यालय परिसर की संरचना और सुविधाओं को आपदाओं से सुरक्षित बनाने के लिए खतरा, संवेदनशीलता और क्षमता (एचवीसी) का आकलन किया जाए तथा इसके आधार पर आवश्यक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय किए जाएँ।
ग)	विद्यालयों में हरित, समान और सुरक्षित वातावरण विकसित किया जाए, जिसमें बच्चों तथा विशेष रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
घ)	विद्यालय समुदाय के लिए प्राथमिक जीवन रक्षक सहायता (बुनियादी जीवन रक्षक), सीपीआर और अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि आपात स्थिति में तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जा सके ।
ड.)	आपदाओं और अन्य गंभीर घटनाओं के दौरान तथा उसके बाद विद्यार्थियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मजबूत मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता व्यवस्था विकसित की जाए।
च)	विद्यालय के नेतृत्व और प्रशासन को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाया जाए, जिससे कि विद्यालयों में लंबे समय तक सुरक्षा की संस्कृति विकसित हो और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा मिले।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2-क्रेडिट कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के लिए संकाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27-31 जुलाई 2026, मेघालय



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण की व्यापक अवधारणाओं और आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र को विकास की रणनीतिक योजना में शामिल किया जाए, जिससे कि "बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण" (Build Back Better) की अवधारणा को अपनाया जा सके ।
ख)	संस्थागत व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय नीतियों, आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 तथा सेन्डाई फ्रेमवर्क, पेरिस समझौते और सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाए।
ग)	खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता (एचआरवीसी) का विस्तृत आकलन तथा उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण करते हुए समुदाय-केंद्रित आपदा प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
घ)	इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस), टेबलटॉप अभ्यास (टीटीएक्स) और फ्लुइन के एफआईएसटी मॉडल के माध्यम से आपातकालीन समन्वय और भीड़ प्रबंधन से संबंधित क्षमताओं को मजबूत किया जाए।
ड.)	समावेशी योजना, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता (पीएफए) तथा महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए लक्षित मनोसामाजिक सहायता को आपदा प्रबंधन की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।
च)	बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए उन्नत डिजिटल शिक्षण उपकरणों, रिमोट सेंसिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए 5वाँ ITEC कार्यक्रम, 03-14 अगस्त 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	भारत में अपनाए जा रहे बहु-आपदा और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं और कार्यप्रणालियों से परिचित कराकर व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) की समझ को बढ़ाया जाए।
ख)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय ढाँचों, विशेष रूप से सेन्डाई फ्रेमवर्क, सतत् विकास लक्ष्यों, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन तथा जोखिम-सूचित विकास के संबंध में ज्ञान को मजबूत किया जाए।
ग)	प्रतिभागियों को भारत और अन्य सहभागी देशों की अच्छी कार्यप्रणालियों से उपयोगी सीख लेने और उन्हें अपने-अपने देशों की परिस्थितियों के अनुसार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि आपदा जोखिम प्रबंधन व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा सके ।
घ)	प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और संस्थागत संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इनमें एनआईडीएम की ई-लर्निंग पहल, आईडीआरएन, जीआईएस आधारित उपकरण, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ तथा आँकड़ों पर आधारित निर्णय लेने की व्यवस्था शामिल हैं।
ड.)	दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव को मजबूत किया जाए तथा क्षमता निर्माण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति निर्माण और आपदा-प्रत्यास्थता के क्षेत्र में निरंतर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

औद्योगिक (रासायनिक) आपदा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27-29 अगस्त 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	औद्योगिक आपदा प्रबंधन की शुरुआत किसी घटना के घटित होने के बाद नहीं, बल्कि उससे काफी पहले होनी चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए खतरों की पहचान, जोखिम का आकलन, स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित डिजाइन, उपकरणों की उचित स्थिति, नियमित रखरखाव, सुरक्षित भंडारण और प्रभावी संचालन प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
ख)	खतरों की पहचान करने, उनके कारणों और संभावित परिणामों को समझने तथा जोखिम का आकलन करने के लिए HIRA, HAZOP, Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis, FMEA और QRA जैसे व्यवस्थित उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
ग)	प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, बेहतर संचार, समन्वय और संसाधनों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। इस संबंध में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो घटनास्थल पर कार्रवाई, ऑफ-साइट व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, निकासी और संचार योजनाओं को एकीकृत करने में सहायक है।
घ)	रासायनिक जोखिम केवल कारखाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि भंडारण केंद्रों परिवहन मार्गों और आसपास के समुदायों तक भी फैले होते हैं। जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित भंडारण, रसायनों का उचित वर्गीकरण, वाहनों की सुरक्षा, प्रशिक्षित चालकों की उपलब्धता, वास्तविक समय पर निगरानी तथा समुदाय में जागरूकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ङ)	प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं से प्राप्त अनुभवों और सीख का उपयोग मानकों, व्यवस्थाओं और कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। दुर्घटनाओं की जाँच, सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन अभ्यास, निरंतर निगरानी और ऐसी सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिसमें संभावित खतरों का पहले से अनुमान लगाकर उनसे बचाव और निरंतर सीखने पर जोर दिया जाए।

भूकंप जोखिम के लिए प्रतिरोधी अवसंरचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 31 अगस्त-02 सितंबर 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	भूकंप के प्रति संवेदनशीलता, जोखिम में आने वाली आबादी एवं संपत्तियों तथा भूकंप जोखिम प्रबंधन में आने वाली बाधाओं की बेहतर समझ विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही, भारत में भूकंप के खतरे की स्थिति, भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में भूकंपीय जोखिम का आकलन तथा स्थानीय भूगर्भीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण को समझना आवश्यक है।
ख)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी अवसंरचना को भूकंप के प्रति अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमुख इंजीनियरिंग उपायों, भवनों की डिजाइन तथा निर्माण सामग्री से संबंधित बेहतर प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए।
ग)	भवनों की भूकंपीय संवेदनशीलता का आकलन करने और पुनर्बलन (Retrofitting) की प्राथमिकता तय करने के लिए त्वरित दृश्य मूल्यांकन (Rapid Visual Screening-RVS) तकनीकों का ज्ञान विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, मौजूदा भवनों और अस्पतालों तथा पुलों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के पुनर्बलन की विभिन्न विधियों, व्यावहारिक चुनौतियों और बेहतर कार्यप्रणालियों की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
घ)	शहरी नियोजकों, इंजीनियरों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, स्थानीय सरकारों, समुदायों और नीति-निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए भूकंप जोखिम न्यूनीकरण को विकास और नियोजन की मख्यधारा में शामिल किया जा सके ।
ङ)	भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्षेत्र-विशिष्ट अध्ययन, अधिक व्यावहारिक सत्र, क्षेत्र भ्रमण, समूह अभ्यास तथा पुर्नबलन और नई तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, निरंतर ज्ञान साझा करने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, वेबिनार और पूर्व प्रतिभागियों का नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में नई संभावनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 31 अगस्त-02 सितंबर 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम प्रबंधन में सक्रिय और पूर्व तैयारी पर आधारित दृष्टिकोण को मजबूत किया जाए तथा आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत निर्धारित अद्यतन कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारियों की बेहतर समझ विकसित की जाए।
ख)	राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की संस्थाओं के बीच ऊर्धवाधर और क्षैतिज समन्वय को मजबूत किया जाए। इसमें शहरी आपदा प्रबंधन (यूडीएमए) और पूरे शहर को एक इकाई मानकर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ग)	बहु-आपदा जोखिम मानचित्रण, संवेदनशीलता का आकलन, आपदा संबंधी डेटाबेस तथा आपदा की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम हस्तांतरण के लिए समर्पित वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाए।
घ)	आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए), "बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण" (Build Back Better) की अवधारणा तथा अंतिम स्तर तक आपदा-सुदृढ़ता बढ़ाने में पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ङ)	डिजिटल उपकरणों, मोबाइल प्रौद्योगिकी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं के नेतृत्व और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से समावेशी आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाए।
च)	आपदा के बाद किए जाने वाले आकलन, दस्तावेजीकरण, ऑडिट और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आपदा प्रबंधन की व्यवस्था और संस्थागत क्षमता में लगातार सुधार किया जा सके ।

20वाँ व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम, 07-18 सितंबर 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाओं, बहु-आपदा संवेदनशीलता की स्थिति तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे नए जोखिमों के संबंध में संस्थागत क्षमता और विशेषज्ञता को मजबूत किया जाए।
ख)	आपदा प्रबंधन के प्रत्येक चरण को ध्यान में रखते हुए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाओं को व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से तैयार एवं लागू किया जाए।
ग)	औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में क्षेत्र-आधारित आकलन के माध्यम से खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाए तथा इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कार्ययोजना में शामिल किया जाए।
घ)	पूर्व चेतावनी प्रणालियों, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP), भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत आपदा प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का प्रभावी उपयोग किया जाए।
ङ)	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) जैसी संस्थाओं के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (IRS) और आपातकालीन सहायता कार्यों (ESFs) को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
च)	समावेशी और समुदाय-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देकर तथा विभिन्न संबंधित संस्थाओं और प्राधिकरणों के बीच समन्वय को मजबूत करके आपदा प्रबंधन के लिए सक्षम और कुशल पेशेवरों का एक मजबूत समूह तैयार किया जाए।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (CBDRM) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 21-25 सितंबर 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	समुदायों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और प्रमुख हितधारकके रूप में मान्यता दी जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर उनकी क्षमता का विकास किया जाए, जिससे कि वे स्वयं आपदाओं को समझने, उनका पूर्वानुमान लगाने, तैयारी करने, प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने और आपदा के बाद पुर्नप्राप्ति करने में सक्षम हो सकें।
ख)	आपदा जोखिम को विकास संबंधी निर्णयों, संवेदनशीलताओं और उपलब्ध क्षमताओं के संदर्भ में सीधे संबोधित किया जाए। इसके लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को व्यापक विकास योजनाओं में पूरी तरह शामिल किया जाना आवश्यक है।
ग)	समुदाय आधारित योजना के लिए स्थानीय जोखिम का आकलन एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में स्थापित किया जाए। इसके माध्यम से समुदाय अपने क्षेत्र में खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता का आकलन कर स्थानीय स्तर पर तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण के उपाय तय कर सकें।
घ)	प्रभावी समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CBDRR) के लिए क्षमता निर्माण को केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण तक सीमित न रखते हुए मॉक ड्रिल, प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा जीवन रक्षक कौशल के अभ्यास जैसे अनुभव-आधारित प्रशिक्षण को शामिल किया जाए।
ङ)	समुदाय की सतत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। समुदाय की सोच, अपेक्षाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारिक बाधाओं को समझने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन से संबंधित उपाय अपनाए जाएँ।
च)	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लंबे समय तक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए इसे अलग-अलग गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय शासन व्यवस्था में संस्थागत रूप से शामिल किया जाए। इसके लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं, ग्राम स्तर की समितियों तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) जैसी स्थानीय विकास योजनाओं के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समन्वय किया जाए।

हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) के जोखिम शमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28 सितंबर-01 अक्टूबर 2026, दिल्ली



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ने की दर पूरी दुनिया की औसत दर से लगभग दोगुनी है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 के बाद से भारत में ग्लेशियल झीलों का क्षेत्रफल लगभग 21% बढ़ा है।
ख)	झीलों का आकलन केवल उनके क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, बल्कि उनके नीचे की ओर रहने वाले लोगों और क्षेत्रों पर पड़ने वाले संभावित जोखिम के आधार पर किया जाना चाहिए। चोराबाड़ी झील इसका एक उदाहरण है, जो आकार में छोटी थी और सीधे किसी ग्लेशियर से जुड़ी नहीं थी।
ग)	साउथ ल्होनाक, चमोली और वर्ष 2026 में नेपाल में हुई घटना जैसी आपदाओं में हिमस्खलन, तेज लहरों, झील के टूटने और मलबे के बहाव जैसी कई घटनाएं एक-दूसरे से जुड़ी थीं। कुछ मामलों में झील के फटने के बिना भी ऐसी आपदाएं हुईं।
घ)	जोखिम का आकलन करने के लिए झीलों की पहचान और सूची तैयार करने से लेकर प्रारंभिक जांच, मॉडल तैयार करने और स्थल पर जाकर जांच करने तक एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसमें केवल अनुमान आधारित सूत्रों के बजाय झील की गहराई मापने, भू-प्रतिरोधकता सर्वेक्षण और ड्रोन से मानचित्रण जैसी तकनीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
ङ)	इंजीनियरिंग उपाय प्रत्येकस्थान की परिस्थितियों के अनुसार तय किए जाने चाहिए। साथ ही, स्थानीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसा कि पवित्र गुरुडोंगमार क्षेत्र के मामले में आवश्यकहै।
च)	पूरे जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए और GLOF Kavach जैसी एकीकृत व्यवस्थाओं को अपनाया जाना चाहिए। इसकेसाथ-साथ, आपातकालीन चेतावनी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं, समुदाय स्तर पर नियमित अभ्यास और लद्दाख में विकसित की जा रही LoRa आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग भी महत्वपूर्ण है।

तमिलनाडु में चरम मौसमीय घटनाओं और तटीय खतरों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23-25 सितंबर 2026, चेन्नई



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	तमिलनाडु में चक्रवात, बाढ़, सूखा, लू और सुनामी जैसे खतरों के अधिक जोखिम का विश्लेषण करना तथा अतीत में चरम मौसमीय घटनाओं से हुए प्रभावों और नुकसान का अध्ययन करना।
ख)	उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग, लोगों की सुरक्षित निकासी और आश्रय स्थलों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना तथा केवल आपदा के बाद की प्रतिक्रिया के बजाय दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में कार्य करना।
ग)	लू के कारण संवेदनशील समूहों पर पड़ने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शीतलन उपाय अपनाना तथा "Cool by Design, Cool by Nature" की अवधारणा को बढ़ावा देना।
घ)	अंतिम छोर तक पूर्व चेतावनी की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए IFMC, GIS, AI/ML तथा TN-SMART और TN ALERT जैसी डिजिटल प्रणालियों और वास्तविक समय में काम करने वाले उपकरणों का प्रभावी उपयोग करना।
ङ)	जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए जोखिम आधारित विकास, स्थानीय ज्ञान को शामिल करते हुए समुदाय-केंद्रित तैयारी तथा आपदा जोखिम वित्तपोषण को बढ़ावा देना।
च)	प्रशिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखने, प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने तथा व्यवस्थित सत्र-योजना बनाने के कौशल में सुधार किया जाए।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दक्षिणी परिसर

मानसून-पूर्व तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 02-03 जुलाई 2026, उत्तर प्रदेश



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	उभरती तकनीकों, जैसे रिमोट सेंसिंग, डॉप्लर रडार, AI/ML, मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड का उपयोग समय से पहले और वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने में किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी समझ को और बेहतर करना।
ख)	बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करना, जिसमें IMD, CWC और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा चेतावनी जारी करने से लेकर विभिन्न माध्यमों से उसका प्रसार तथा अंतिम छोर तक समय पर सूचना पहुंचाना शामिल है, जिससे कि समुदाय समय रहते ज़रूरी उपाय कर सके ।
ग)	जलवायु परिवर्तन और जलवायु संबंधी खतरों पर आयोजित सत्रों से बदलते जलवायु कारकों तथा बाढ़ की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति के बीच संबंध को समझने में मदद मिली। इसलिए तैयारी की योजनाओं में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करना आवश्यक है।
घ)	स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी में डायरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, NDMA के पोषण मानकों के अनुसार वयस्कों के लिए 2,100 कैलोरी प्रतिदिन का प्रावधान, महिलाओं और बच्चों के लिए WASH (जल, स्वच्छता और साफ-सफाई) की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करना, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था तथा दवाओं का पहले से पर्याप्त भंडारण शामिल होना चाहिए।
ङ)	भौतिक क्षति, आर्थिक प्रभाव और पुर्नबहाली की आवश्यकताओं की मूल अवधारणाओं को समझना तथा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के वित्तीय मानकों की जानकारी प्राप्त करना। साथ ही, आपदा के बाद व्यवस्थित आकलन के लिए प्रोफार्मा, पंचनामा, रिमोट सेंसिंग (RS)/भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डिजिटल ऐप जैसे व्यावहारिक उपकरणों का उपयोग करना।

जलवायु-जनित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह और उच्च-रिजॉल्यूशन मॉडलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 06-10 जुलाई 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	बाढ़, चक्रवात, लू, सूखा, आंधी-तूफान, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा जैसी प्रमुख जलवायु-जनित आपदाओं को समझना तथा इनके जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंध को जानना।
ख)	खतरा, संवेदनशीलता, जोखिम में आने वाले क्षेत्र और आबादी, जोखिम, प्रत्यास्थता, तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली जैसी आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रमुख अवधारणाओं के साथ आपदा प्रबंधन चक्र को समझना।
ग)	मौसम पूर्वानुमान, आपदा की भविष्यवाणी, जोखिम आकलन, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण, वर्षा का पूर्वानुमान, लू की भविष्यवाणी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग (ML) के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
घ)	उपग्रह मौसम विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और Google Earth Engine से संबंधित व्यावहारिकसत्रों के माध्यम से खतरे की निगरानी, आपदा मानचित्रण, संवेदनशीलता का आकलन और भौगोलिक विश्लेषण की जानकारी प्राप्त करना।
ङ)	भारत मौसम विज्ञान विभाग की ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम (IMD-GFS), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की भारत फोरकास्ट सिस्टम, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) की प्रणालियों तथा वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग (WRF) मॉडल की जानकारी प्राप्त करना और उच्च-रिजॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान तथा प्रभाव-आधारित आपदा तैयारी पर विशेष ध्यान देना।
च)	बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी के प्रभावी प्रसार और आपातकालीन संचार को बढ़ावा देना, ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके ।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 18वां व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13-24 जुलाई 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम केवल किसी खतरे के उत्पन्न होने से निर्धारित नहीं होता, बल्कि खतरे, उसके संपर्क में आने वाली आबादी एवं संपत्तियों, संवेदनशीलता और उपलब्ध क्षमता के आपसी संबंध से निर्धारित होता है।
ख)	प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया की तैयारी आपदा आने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसके लिए पूर्व तैयारी, जोखिम आकलन, संस्थागत समन्वय की प्रभावी व्यवस्था और नियमित क्षमता निर्माण को एक प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली का आधार बनाया जाना चाहिए।
ग)	आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता एकीकृत जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और आपदा के बाद पुनर्बहाली के समन्वित प्रयासों से विकसित किया जा सकता है।
घ)	विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता वैज्ञानिक जोखिम आकलन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम न्यूनीकरण उपायों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए।
ङ)	क्षेत्र-आधारित प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थानों, प्रौद्योगिकी और समुदायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
च)	जोखिम आधारित योजना, नवाचार और प्रभावी नेतृत्व आपदा जोखिम से संबंधित ज्ञान को ठोस और प्रभावी कार्रवाई में बदलने के लिए आवश्यकहैं।

जोखिम-सूचित योजना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संकाय विकास कार्यक्रम, 27-31 जुलाई 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और सतत् विकास को विकास योजनाओं और शासन व्यवस्था में एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे कि आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता मजबूत किया जा सके ।
ख)	प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थाओं की स्पष्ट भूमिकाएं, आपसी समन्वय और विभिन्न स्तरों पर प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ग)	संरचनात्मक, गैर-संरचनात्मक, पारिस्थितिकी-आधारित तथा प्रकृति-आधारित उपायों को एक साथ अपनाने से संवेदनशीलता कम करने और दीर्घकालिक प्रत्यास्थता को मजबूत करने में मदद मिलती है।
घ)	जोखिम को बेहतर ढंग से समझने और आपदाओं के प्रति सक्षम एवं सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए समुदाय की भागीदारी, स्थानीय ज्ञान और समावेशी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
ङ)	जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी, निगरानी और आपातकालीन निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए GIS, रिमोट सेंसिंग, AI, ड्रोन, भू-स्थानिक विश्लेषण और निर्णय-सहायता प्रणालियों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
च)	भविष्य के विशेषज्ञों और पेशेवरों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए तैयार करने तथा संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को व्यापकरूप से शामिल किया जाना चाहिए।

तीसरा मास्टर ट्रेनर विकास कार्यक्रम, 10-21 अगस्त 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम को खतरे, जोखिम के संपर्क में आने वाली आबादी एवं संपत्तियों, संवेदनशीलता और उपलब्ध क्षमता के आपसी संबंध के रूप में समझना तथा इस दृष्टिकोण को रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्बहाली और प्रत्यास्थता निर्माण के सभी चरणों में लागू करना।
ख)	समय पर, समन्वित और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने के लिए भारत के आपदा प्रबंधन संबंधी संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, भू-स्थानिक तकनीकों, जोखिम आकलन उपकरणों और घटना प्रतिक्रिया प्रणाली का प्रभावी उपयोग करना।

ग)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजनाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, सतत् विकास, लैंगिक समानता, बच्चों, दिव्यांगजनों तथा अन्य संवेदनशील समूहों से जुड़े पहलुओं को शामिल करना और यह समझना कि विभिन्न समूहों के जोखिम, क्षमताएं और चुनौतियां अलग-अलग हो सकती हैं।
घ)	जोखिम संबंधी जानकारी और पूर्व चेतावनियों को पूर्व तैयारी, अंतिम छोर तक संचार, समुदाय की भागीदारी, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में बदलाव, मज़बूत योजना और समय पर कार्रवाई में बदलना। इसका उद्देश्य आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय आपदा के प्रभाव से पहले ही जोखिम को कम करने पर अधिक ध्यान देना होना चाहिए।
ङ)	सीखने की जरूरतों की पहचान करने, अवलोकन योग्य प्रदर्शन परिणामों को परिभाषित करने, प्रामाणिक सीखने के अनुभवों और आकलन को डिजाइन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभागी केवल जानकारी को याद करने के बजाय वास्तविक समस्याओं को लागू करने, निर्णय लेने, प्रदर्शन करने और हल करने में सक्षम हों, डिजाइन द्वारा समझ, बैकवर्ड डिजाइन और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण को लागू करना।
च)	प्रतिभागी-केंद्रित प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा, प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों, मूल्यांकन, सहकर्मियों से सीखने, आत्मचिंतन और व्यावहारिक प्रशिक्षण संचालन में दक्षता विकसित करना, जिससे कि मास्टर ट्रेनर प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें संचालित करने और उनमें निरंतर सुधार करने में सक्षम हों। इस प्रकार मास्टर ट्रेनर की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति तक सीमित न रहकर क्षमता निर्माण, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और संस्थागत कार्यक्षमता को बढ़ाने वाले प्रशिक्षक के रूप में विकसित हो।

अस्पताल की तैयारी, सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की मज़बूती: योजना का क्रियान्वयन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17-18 अगस्त 2026, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा प्रबंधन चक्र, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों तथा अस्पतालों के बुनियादी ढांचों और नीतियों में जलवायु-अनुकूल रणनीतियों को शामिल करने की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझना।
ख)	अस्पताल आपदा प्रबंधन योजनाओं (HDMPs) की जानकारी को बेहतर बनाना तथा उन्हें अस्पताल-विशिष्ट तैयारी योजनाओं के माध्यम से व्यवहार में लागू करना और योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन करना।
ग)	खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन (HRVCA) की क्षमता को मजबूत करना तथा अस्पतालों की संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने पर ध्यान देना।
घ)	अस्पताल घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (HIRS), आपातकालीन निकासी, अग्नि सुरक्षा और विभिन्न खतरों के जोखिम को कम करने से संबंधित प्रक्रियाओं में दक्षता विकसित करना।
ङ)	मॉक ड्रिल, टेबलटॉप अभ्यास, नियमित प्रशिक्षण और आपदा तैयारी योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन करने के महत्व को समझना तथा इन गतिविधियों को नियमित रूप से आयोजित करना।
च)	आपातकालीन परिस्थितियों में मीडिया प्रबंधन, विभिन्न माध्यमों से जन-संदेशों के प्रभावी प्रसार तथा अफवाहों को रोकने और सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित संकट संचार प्रकोष्ठ की स्थापना के महत्व को समझना।

बहु-आपदा संबंधी विभागीय अभिमुखीकरण: अंतर-एजेंसी समन्वय और एकीकृत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 24-28 अगस्त 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रीय खतरों, जैसे चक्रवात, बाढ़, आंधी-तूफान, लू और औद्योगिक आपात स्थितियों की समझ को मजबूत करना तथा जोखिम आधारित पूर्व तैयारी पर विशेष जोर देना।
ख)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS), आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) तथा संबंधित विभागों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी को बेहतर बनाना।
ग	उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियों, मौसम निगरानी, पूर्वानुमान की विभिन्न व्यवस्थाओं तथा समय पर कार्रवाई योग्य चेतावनियों के प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
घ)	अग्नि सुरक्षा और अग्नि की रोकथाम, औद्योगिक एवं अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीतियों की तकनीकी समझ को मजबूत करना।
ङ)	विशेष बचाव उपकरणों, आपदा प्रतिक्रिया कार्यों तथा पिछली आपदाओं से जुड़े मामलों के अध्ययन के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करना और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षमताओं में मौजूद कमियों की पहचान करना।
च)	दीर्घकालिक आपदा प्रत्यास्थता विकसित करने के लिए प्रभावी नेतृत्व, समय पर निर्णय लेने, नियमित मॉक ड्रिल तथा व्यवस्थित क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर विशेष जोर देना।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 31 अगस्त-03 सितंबर 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा के बाद पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण से संबंधित रूपरेखाओं की समझ को मजबूत करना तथा व्यवस्थित पुनर्बहाली योजनाएं तैयार करने और उनमें दीर्घकालिक सतत् विकास को शामिल करने की क्षमता विकसित करना।
ख)	मानकीकृत आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन (PDNA) की कार्यप्रणालियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का उपयोग करते हुए क्षति, नुकसान और आपदा के प्रभाव का व्यवस्थित आकलन करने की क्षमता को बढ़ाना।

ग)	उत्पादन और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में क्षति और पुनर्बहाली की आवश्यकताओं का आकलन करने, आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने तथा प्रभावी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग के माध्यम से निष्कर्षों को समेकित करने के लिए विशेष कौशल विकसित करना।
घ)	बेहतर पुनर्निर्माण के लिए "Build Back Better" (BBB) की अवधारणा को समझना तथा पुनर्बहाली की योजना बनाते समय वित्तीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखना।
ङ)	पूरी पुनर्बहाली प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी, सामाजिक समावेशन, लैंगिक पहलुओं और मनोसामाजिक सहायता के महत्व को समझना तथा इन्हें पुनर्बहाली योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाना।
च)	व्यावहारिक अभ्यास, मामलों की चर्चा और समूह गतिविधियों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान को मजबूत करना तथा भविष्य की पुनर्बहाली गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को प्रभावी रूप से शामिल करना।

समग्र विद्यालय सुरक्षा और विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 07-11 सितंबर 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के केंद्र में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए विद्यालयों की संरचनात्मक, गैर-संरचनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
ख)	खतरे, संवेदनशीलता और क्षमता के आकलन के आधार पर व्यावहारिक और प्रभावी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाएं (SDMPs) तैयार की जानी चाहिए। इन योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉक ड्रिल और समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
ग)	पूर्व चेतावनी प्रणाली, निकासी योजना, आपातकालीन संचार तथा विभिन्न व्यक्तियों की स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित मजबूत आपातकालीन प्रक्रियाएं लागू की जानी चाहिए।
घ)	विद्यालय समुदाय को अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, CPR, घायलों की सुरक्षित निकासी तथा खोज और बचाव की बुनियादी तकनीकों सहित जीवन सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक कौशल प्रदान किए जाने चाहिए।
ङ)	दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं, उनकी आयु के अनुरूप मनोसामाजिक सहायता तथा हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील विद्यार्थियों की विशेष सुरक्षा की जानी चाहिए।
च)	पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।

सूखे से निपटने के उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15-18 सितंबर 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत निर्धारित तकनीकी सूचकांकों को समझने और उनका सही विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, जिससे कि सूखे की स्थिति की व्यवस्थित निगरानी और आकलन किया जा सके ।
ख)	सूखे के जोखिम के आकलन और सूखा प्रभावित क्षेत्र की औपचारिक घोषणा के लिए निर्धारित चरणबद्ध प्रक्रियाओं का पालन करना तथा निर्धारित प्रशासनिक समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।
ग)	कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA) व्यापक रूप से करना, जिससे कि क्षति, नुकसान और पुनर्बहाली की आवश्यकताओं का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जा सके ।
घ)	SDRF/NDRF के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित ज्ञापन तैयार करना तथा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों और प्रावधानों को उनमें उचित रूप से शामिल करना।
ङ)	सूखा प्रभावित क्षेत्र की औपचारिक घोषणा के बाद निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राहत, आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण से संबंधित उपायों को व्यवस्थित रूप से लागू करना।
च)	दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण, समुदाय की पूर्व तैयारी और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित जिला-स्तरीय सूखा न्यूनीकरण और प्रत्यास्थता कार्ययोजनाएं तैयार करना।

जल-मौसम संबंधी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संकाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, 21-25 सितंबर 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	बाढ़, अचानक आने वाली बाढ़, चक्रवात, तूफानी लहर, सूखा और लू जैसी जल-मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक आधार को मजबूत करना। साथ ही, खतरा, जोखिम के संपर्क में आने वाले क्षेत्र एवं आबादी, संवेदनशीलता, जोखिम, प्रत्यास्थता, आपदा प्रबंधन चक्र तथा आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित संस्थागत व्यवस्थाओं की समझ विकसित करना।
ख)	आपदा जोखिम के आकलन, योजना, अनुसंधान और निर्णय लेने में सहायता के लिए खतरे का मानचित्रण, संवेदनशीलता और जोखिम के संपर्क का आकलन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकों, GIS, रिमोट सेंसिंग तथा बाढ़ के फैलाव के मॉडलिंग के माध्यम से तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित जोखिम आकलन एवं मानचित्रण को बढ़ावा देना।
ग)	बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना तथा इसके चार प्रमुख घटकों- जोखिम की जानकारी, निगरानी एवं पूर्वानुमान, चेतावनी का प्रसार तथा पूर्व तैयारी एवं प्रतिक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान विकसित करना। इसमें अंतिम छोर तक प्रभावी संचार पर विशेष ध्यान देना।
घ)	बढ़ते जल-मौसम संबंधी जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा जोखिम वित्तपोषण को शिक्षण, अनुसंधान, संस्थागत योजना और व्यावहारिक कार्यों में शामिल करना।
ङ)	पाठ्यक्रम, व्यावहारिक कार्यों और जन-जागरूकता गतिविधियों में जल-मौसम संबंधी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना तथा क्षमता निर्माण, संयुक्त अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए NIDM और IUIN-DRR नेटवर्क के साथ सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत करना।

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28 सितंबर-01 अक्टूबर 2026, विजयवाड़ा



मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अलग गतिविधि के रूप में देखने के बजाय ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जोखिम कम करने के उपायों को दैनिक विकास संबंधी निर्णयों से जोड़ा जा सके ।
ख)	प्रतिभागियों की खतरे, जोखिम के संपर्क में आने वाले क्षेत्र एवं समुदाय, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम से संबंधित समझ को मजबूत करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते आपदा जोखिमों पर विशेष ध्यान देना।
ग)	ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की भूमिका को पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली में मजबूत करना तथा इसके लिए संस्थागत समन्वय और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
घ)	स्थानीय समुदायों को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार और प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले समूह के रूप में विकसित करना तथा स्थानीय ज्ञान, क्षमताओं, आपदा से निपटने के पारंपरिक तरीकों और सामुदायिक संस्थाओं का उपयोग करना।
ङ)	पंचायतों को स्थानीय जोखिमों की पहचान और प्राथमिकता तय करने में सहायता के लिए खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन (HRVC), जोखिम मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर, संसाधन मानचित्रण तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान जैसे उपकरणों का उपयोग करना।
च)	चिन्हित खतरों, संवेदनशीलताओं और उपलब्ध क्षमताओं को व्यावहारिक पूर्व तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण कार्यों में बदलना तथा इन कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) से स्पष्ट रूप से जोड़ना।

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/परामर्श बैठक

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देश पर कार्यशाला, 14 जुलाई 2026, दिल्ली





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 14 जुलाई 2026 को HighCAP परियोजना के अंतर्गत "राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देश" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का सहयोग प्राप्त है। कार्यशाला में MoRTH, नीति आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI), ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC), योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (SPA) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) सहित विभिन्न प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम और लचीला बनाने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे और सतत विकास से संबंधित रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तैयार किए गए जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों के मसौदे की समीक्षा और उसके विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों एवं संबंधित हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए गए। कार्यशाला में प्राप्त सुझाव और अनुशंसाएं राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक व्यापक और प्रभावी जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला, 15 जुलाई 2026, बिहार





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के सहयोग से राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से पटना स्थित सरदार पटेल भवन में "आपदा जोखिम प्रबंधन" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि उच्च स्तर के नेतृत्व की प्रतिबद्धता कर्मचारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित नए और प्रभावी प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही, टीम भावना और आपसी सहयोग से कार्यों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कार्यशाला के दौरान बिहार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा समुदाय-केंद्रित रणनीतियों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में किए जा रहे सफल प्रयासों को अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करने पर भी चर्चा हुई। इन प्रयासों के आधार पर बिहार को पूर्वी क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। समापन सत्र के साथ कार्यशाला संपन्न हुआ, जिसमें बिहार के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन; बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से.; बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, भा.पु.से.; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से.; बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ. उदय कांत मिश्रा तथा प्राधिकरण के सचिव श्री मोहम्मद वारिस खान, भा.प्र.से. उपस्थित रहे।

रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु जोखिम आकलन: खतरे, संवेदनशीलता एवं जोखिम मैट्रिक्स पर वेबिनार, 04 अगस्त 2026

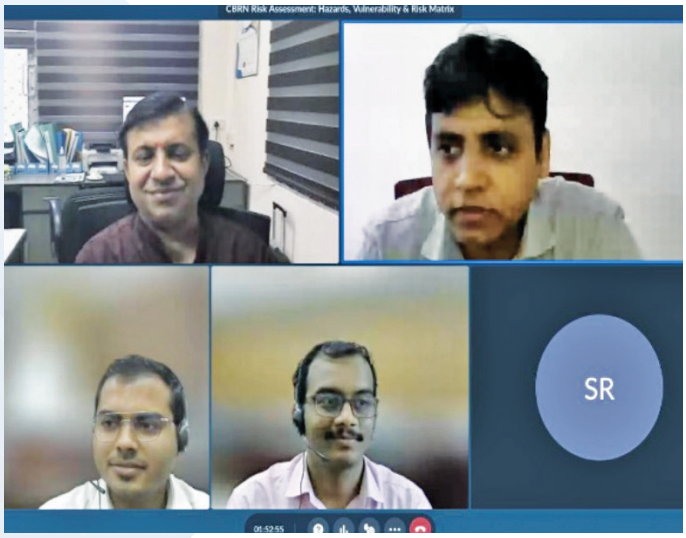

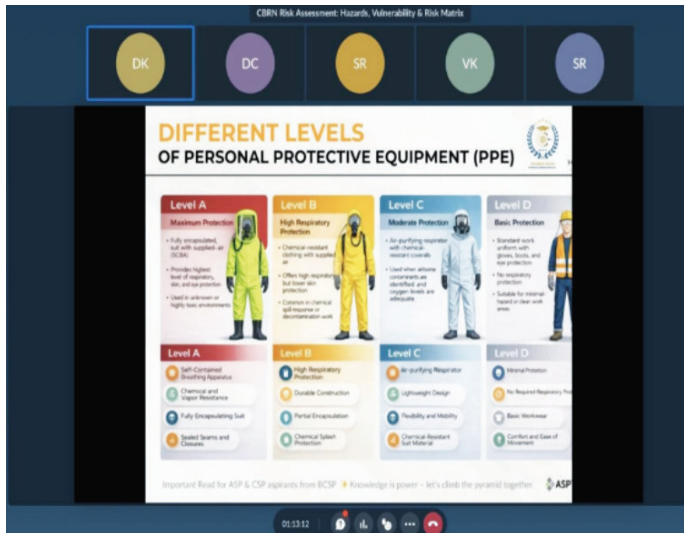

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने "रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु जोखिम आकलन: खतरे, संवेदनशीलता एवं जोखिम मैट्रिक्स" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के परमाणु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (INMAS) के डॉ. हिमांशु ओझा ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में भाग लिया। सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए कम संभावना लेकिन अत्यधिक प्रभाव वाली रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तैयारी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। डॉ. ओझा ने रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु जोखिम आकलन के वैज्ञानिक ढांचे की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें खतरे की पहचान, संवेदनशीलता का विश्लेषण तथा औद्योगिक समूहों और परिवहन नेटवर्क जैसी संवेदनशील परिसंपत्तियों का मानचित्रण शामिल है। उन्होंने आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के अंतर्गत हॉट, वार्म और कोल्ड जोन प्रणाली, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, चिकित्सीय प्राथमिकता निर्धारण (मेडिकल ट्रायेज) और संदूषण-मुक्ति (डीकंटैमिनेशन) जैसे महत्वपूर्ण उपायों के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और चिकित्सा प्रतिकार उपायों के बारे में भी जानकारी दी। विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन और सेंसर-आधारित निगरानी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां निगरानी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। वेबिनार का समापन इस निष्कर्ष के साथ हुआ कि वैज्ञानिक आधार पर मजबूत जोखिम आकलन, विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, समन्वित मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तथा समुदाय में जागरूकता, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर लचीलापन विकसित करने के लिए आवश्यक हैं।

उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम को मुख्यधारा में लाने पर कार्यशाला, 12 अगस्त 2026, राजकोट



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने गुजरात के राजकोट स्थित आत्मीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को मुख्यधारा में शामिल करना" विषय पर आयोजित कार्यशाला को तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कार्यशाला में 310 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की टीम ने विभिन्न सत्रों का संचालन करते हुए विद्यार्थियों को आपदा की तैयारी, सुरक्षा उपायों और आपातकालीन स्थितियों में जिम्मेदारी पूर्वक प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अपने व्यापक राष्ट्रीय दायित्व के तहत देशभर में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों के एकीकरण को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य युवाओं में आपदाओं की रोकथाम, प्रत्यास्थता और पूर्व तैयारी की संस्कृति को विकसित करना तथा उन्हें आपदा जोखिमों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाना है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा पर वेबिनार, 13 अगस्त 2026

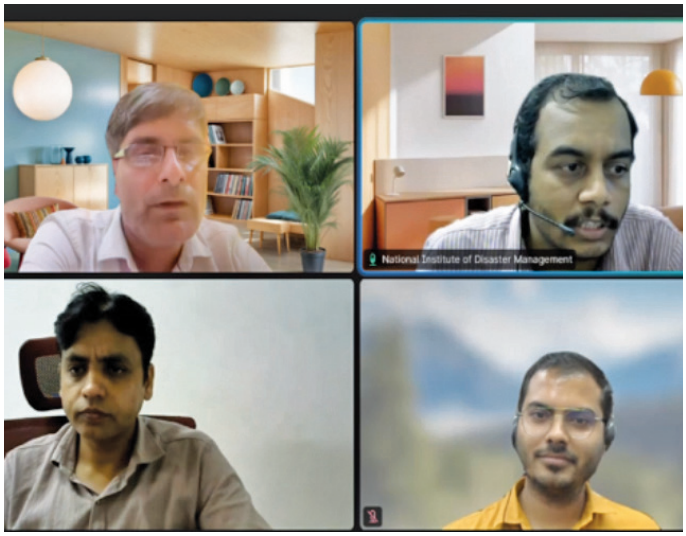

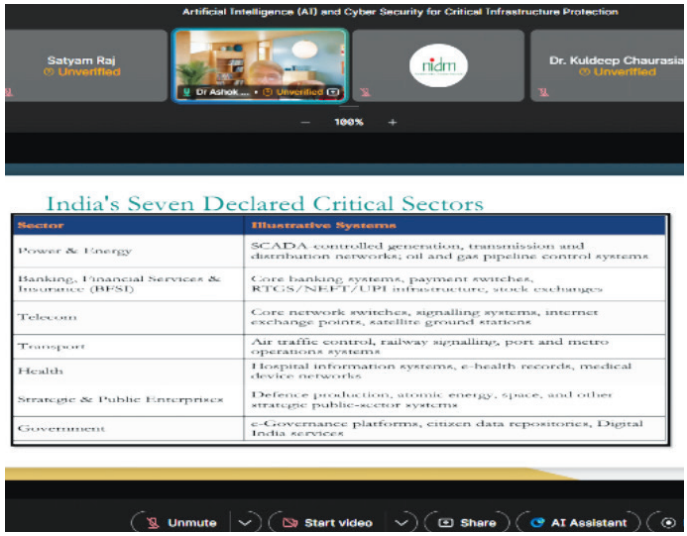

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने "महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। सत्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना की डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता और इससे उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इनमें रैनसमवेयर, आपूर्ति श्रृंखला पर साइबर हमले, वितरित सेवा-अस्वीकरण (DDoS) हमले तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और परिचालन प्रौद्योगिकी (OT) के एकीकरण एवं पुरानी प्रणालियों से उत्पन्न कमजोरियां प्रमुख थीं। वेबिनार में प्रत्यास्थता को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। वास्तविक समय में निगरानी, असामान्य गतिविधियों की पहचान, पूर्वानुमान-आधारित रखरखाव तथा उपयोगकर्ता एवं इकाई व्यवहार विश्लेषण (UEBA) जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। तथापि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साइबर हमलों जैसे नए जोखिम भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए विशेषज्ञ ने चेतावनियों की पुष्टि के लिए "कृत्रिम बुद्धिमत्ता+मानवीय हस्तक्षेप" मॉडल अपनाने पर जोर दिया। वेबिनार का समापन इस निष्कर्ष के साथ हुआ कि महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए व्यापक साइबर जोखिम आकलन, प्रभावी घटना प्रतिक्रिया योजना, व्यवसाय निरंतरता की रूपरेखा तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है।

आपदा पुनर्बहाली के वित्तपोषण के लिए निधियों का एकत्रीकरण: प्रतिक्रिया एवं शमन निधि से आगे बढ़ते हुए केरल तथा अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से प्राप्त आभास विषय पर वेबिनार, 25 अगस्त 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा "आपदा पुनर्बहाली के वित्तपोषण के लिए निधियों का समेकन: प्रतिक्रिया एवं शमन निधि से आगे बढ़ते हुए केरल तथा अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से प्राप्त श्रेष्ठ प्रथाएँ" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। NIDM के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा वित्तीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक आपदा पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में विद्यमान महत्वपूर्ण अंतर को दूर करना था। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आपदा वित्तपोषण व्यवस्था को अल्पकालिक आपातकालीन राहत से आगे ले जाते हुए जोखिम-आधारित और समग्र वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया गया।

तकनीकी सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के तीन प्रमुख विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. शेखर एल. कुरियाकोस, सदस्य सचिव, KSDMA ने केरल के अनुभवों पर प्रकाश डालते हुए निधियों के अभिसरण, आपदा-पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA), स्थानीय सरकारों के सशक्तिकरण तथा समुदाय-केंद्रित पुनर्बहाली मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री राज विक्रम सिंह, वरिष्ठ विशेषज्ञ, आपदा जोखिम वित्तपोषण, CDRI ने "बेहतर पुनर्निर्माण" (Build Back Better) की अवधारणा तथा GIRI जैसे वैश्विक जोखिम मॉडलों पर चर्चा की। उन्होंने वित्तपोषण में समयबद्धता, डेटा-आधारित विश्लेषण तथा संरचनात्मक जोखिम-स्तरीकरण का महत्व को रेखांकित किया। इसके पश्चात् श्री शिशिर अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपदा जोखिम वित्तपोषण एवं जलवायु बीमा समाधान, Aon India ने नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्रों पर उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने निजी क्षेत्र की पूंजी जुटाने की विभिन्न रणनीतियों, जैसे पैरामीट्रिक बीमा, आपदा बॉण्ड, जोखिम-साझाकरण नेटवर्क तथा पूर्व-व्यवस्थित आकस्मिक ऋण व्यवस्था पर प्रकाश डाला। वेबिनार में आपदा के बाद होने वाले प्रतिक्रियात्मक व्यय से हटकर पूर्व-नियोजित एवं पूर्व-व्यवस्थित वित्तीय सुदृढ़ता व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। संवादात्मक सत्रों के दौरान स्थानीय स्तर पर शमन योजना, सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन, पारदर्शी लेखा-परीक्षण तथा मनोसामाजिक सहायता और विस्थापन की पूर्व-योजना को पुनर्बहाली का व्यापक दायरे में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अंत:, कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया, जिससे कि सार्वजनिक विकास वित्त, हरित पूंजी तथा वाणिज्यिक बीमा को एकीकृत करते हुए दीर्घकालिक और स्थायी सामाजिक-आर्थिक पुनर्बहाली के लिए प्रभावी वित्तीय ढाँचा विकसित किया जा सके।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) और ज्ञान वर्टिकल पर क्षेत्रीय कार्यशाला, 25 अगस्त 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने दिल्ली स्थित रोहिणी परिसर में भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) और ज्ञान वर्टिकल पर एकदिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला में उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों के राजस्व विभागों तथा राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल थे।

कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारत आपदा संसाधन नेटवर्क, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली और शहरी लचीलापन ज्ञान वर्टिकल से संबंधित डेटा प्रबंधन, नियमित रूप से आंकड़ों के अद्यतन तथा इनके व्यावहारिक उपयोग के प्रति जागरूक करना और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना था। सत्रों में राज्यों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिनमें दिल्ली में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव तथा मध्य प्रदेश और हरियाणा में आंकड़ों के सत्यापन से संबंधित कमियां प्रमुख थीं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कार्यशाला के समापन पर कई व्यावहारिक अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। इनमें दिल्ली के लिए लक्षित अनुवर्ती कार्यशालाओं का आयोजन, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए राज्य-विशिष्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली सत्र आयोजित करना, बेहतर डेटा पहुंच के लिए उन्नत भारत आपदा संसाधन नेटवर्क अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) सुविधाओं का एकीकरण तथा आपदा प्रबंधन निधियों के समयबद्ध वितरण को सुगम बनाने के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) खाते का निर्माण अनिवार्य करना शामिल था।

औद्योगिक आपदा जोखिम शासन और भू-स्थानिक निर्णय सहायता पर कार्यशाला, 03 सितंबर 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने NIDM परिसर में "औद्योगिक आपदा जोखिम शासन और भू-स्थानिकनिर्णय सहायता" विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सात राज्यों के सरकारी विभागों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, आपातकालीन एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में आपदाओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हटकर सक्रिय रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और जोखिम-सूचित शासन की दिशा में कार्य करने पर विशेष बल दिया गया। तकनीकी सत्रों में कानूनी एवं नीतिगत ढांचे, विभिन्न हितधारकों की समन्वय संबंधी जिम्मेदारियों तथा खतरनाक सामग्रियों के निष्कर्षण और परिवहन से लेकर भंडारण एवं निपटान तक उनके सुरक्षित प्रबंधन के विभिन्न चरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर आयोजित विशेष सत्र था। इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), रिमोट सेंसिंग तथा उपग्रह चित्रों के माध्यम से खतरा मानचित्रण, संवेदनशीलता आकलन, निकासी योजना और संसाधन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला के अंतर्गत घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) पर एक व्यावहारिक सिमुलेशन अभ्यास भी आयोजित किया गया। इसके माध्यम से प्रतिभागियों को घटना कमान, संचार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से संबंधित व्यावहारिक कौशल का उपयोग करने का अवसर मिला। कार्यशाला ने देशभर में औद्योगिक आपदाओं के प्रति मजबूत प्रत्यास्थता विकसित करने के लिए आवश्यक उन्नत रणनीतियों, व्यावहारिक क्षमताओं और सहयोगात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जलवायु अनुकूलन पर मॉड्यूलर प्रशिक्षण टूलकिट के विकास पर कार्यशाला, 10 सितंबर 2026



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने सड़कपरिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सहयोग से संचालित HighCAP परियोजना के अंतर्गत 10 सितंबर 2026 को "राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जलवायु अनुकूलन पर मॉड्यूलर प्रशिक्षण टूलकिट का विकास" विषय पर एक परामर्शात्मक कार्यशाला का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया। कार्यशाला में राजमार्ग इंजीनियरिंग, आपदा जोखिम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, योजना, अनुसंधान, अवसंरचना प्रत्यास्थता और क्षमता निर्माण से जुड़े विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (SPA), भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC), ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), समेकित आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग परिषद (GRIHA Council), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) तथा दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DTU) शामिल थे। कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण टूलकिट के विकास के प्रारंभिक चरण में किया गया, जिससे कि इसकी संरचना और विषय-वस्तु को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों के सुझावों एवं टिप्पणियों को इसमें शामिल किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य प्रशिक्षण टूलकिट के प्रारंभिक ढांचे और दायरे को निर्धारित करना, क्षमता निर्माण की प्रमुख आवश्यकताओं, ज्ञान संबंधी कमियों तथा प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करना, लक्षित प्रतिभागी समूहों का निर्धारण करना, प्रस्तावित मॉड्यूल, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान करने की विधियों को बेहतर बनाना तथा आगे की कार्यवाही के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करना था।

भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 22 सितंबर 2026, विजयवाड़ा



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के दक्षिणी परिसर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 22 सितंबर 2026 को मंदिर प्रशासकों के लिए ''भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन'' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मंदिर प्रशासकों को खतरे, जोखिम के संपर्क में आने वाली आबादी एवं परिसंपत्तियों, संवेदनशीलता तथा उपलब्ध प्रतिक्रिया क्षमताओं का विश्लेषण करके आपदा जोखिमों का आकलन करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना था। प्रतिभागियों को त्योहारों के कैलेंडर, संभावित भीड़ की संख्या और मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। सत्रों में प्रवेश और निकास मार्गों की सुव्यवस्थित व्यवस्था, प्रभावी बैरिके डिंग, कतार प्रबंधन तथा स्पष्ट रूप से निर्धारित होल्डिंग एरिया के माध्यम से भीड़ की सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। कार्यशाला में चिकित्सीय सहायता, गर्मी से बचाव एवं उसके प्रभावों को कम करने, अग्नि सुरक्षा तथा अस्थायी संरचनाओं और रसोईघरों में विद्युत सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा, मंदिर प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा कर्मियों और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) जैसे आपदा प्रतिक्रिया बलों के साथ समन्वय के महत्व पर जोर दिया गया। प्रशासकों को नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने तथा अद्यतन "मंदिर आपदा प्रबंधन योजना" बनाए रखने की आवश्यकता से अवगत कराया गया। इस योजना के अंतर्गत निकासी मार्गों, संचार व्यवस्था और पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों से प्राप्त सीख की नियमित समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, कार्यशाला ने मंदिर परिसरों में भीड़ से संबंधित जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन तथा आपदाओं के प्रति बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की मसौदा आपदा प्रबंधन योजना पर द्वितीय परामर्श बैठक, 21 सितंबर 2026, एनआईडीएम, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के सहयोग से 21 सितंबर 2026 को NIDM के रोहिणी परिसर, दिल्ली स्थित चाणक्य हॉल में "पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की मसौदा आपदा प्रबंधन योजना" पर द्वितीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। बैठक में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, भारतीय तटरक्षक, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, राज्य समुद्री बोर्डों, पत्तन प्राधिकरणों, पोत निर्माण इकाइयों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) तथा समुद्री क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. ने की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन योजना संक्षिप्त, स्पष्ट और कार्रवाई योग्य होनी चाहिए। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संयुक्त निदेशक कर्नल विनीत बाँगा, वरिष्ठ सलाहकार श्री रंदीप कुमार राणा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित हितधारक भी उपस्थित रहे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक श्री ओपेश कुमार शर्मा ने विशेष संबोधन दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष श्री कृष्ण एस. वत्स ने वर्चुअल माध्यम से बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता एवं परियोजना अन्वेषक डॉ. रविंद्र सिंह ने बैठक की पृष्ठभूमि एवं संदर्भ प्रस्तुत करते हुए मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत अब तक पूरी की गई गतिविधियों की जानकारी दी। परामर्श बैठक में मंत्रालय की मसौदा आपदा प्रबंधन योजना पर विस्तृत तकनीकी चर्चा की गई। प्रतिभागियों को मसौदा योजना की समीक्षा करने, मौजूदा कमियों की पहचान करने, संस्थागत भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने तथा योजना को और बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सुझाव देने का अवसर मिला। चर्चाओं में एक ऐसी संक्षिप्त, व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य योजना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया, जिसमें संस्थागत भूमिकाएं स्पष्ट हों तथा जोखिम आकलन, प्रतिक्रिया तंत्र, योजना के सक्रियण एवं प्रतिक्रिया को बढ़ाने की व्यवस्था तथा मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए व्यवसाय निरंतरता से संबंधित प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल हों। यह भी रेखांकित किया गया कि परामर्श बैठक के दौरान प्राप्त हितधारकों के सुझावों को मसौदा आपदा प्रबंधन योजना के आगे के परिष्करण और संशोधन में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। बैठक के अंत में चर्चाओं का सार प्रस्तुत किया गया तथा आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। समापन भाषण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. द्वारा प्रस्तुत की गई।

ग्राम पंचायत विकास योजना की ग्रामीण विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर वेबिनार, 28 सितंबर 2026

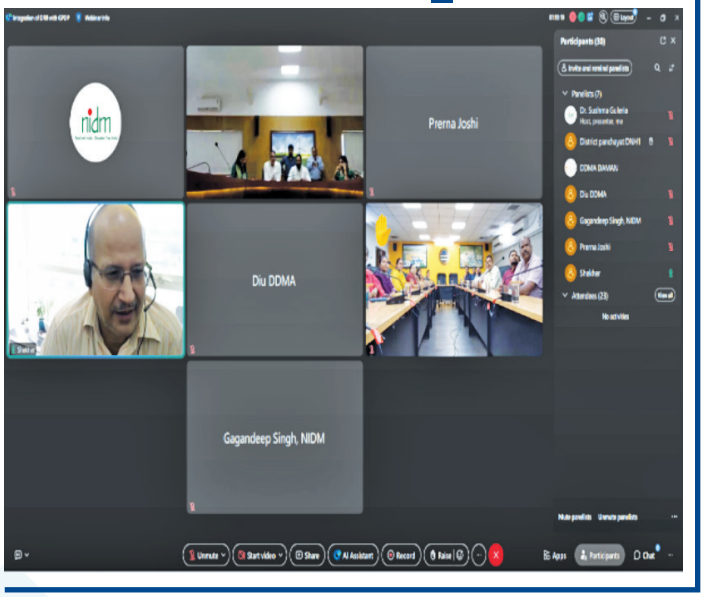

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा 28 सितंबर 2026 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के पंचायती राज संस्थानों के लिए "ग्राम पंचायत विकास योजना की ग्रामीण विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण" विषय पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का उद्देश्य जोखिम-सूचित स्थानीय विकास नियोजन को बढ़ावा देना, पंचायतों की क्षमता को सुदृढ़ करना तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को समाहित करने के लिए संस्थागत समन्वय को बेहतर बनाना था।

उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन के दौरान दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. विवेक कुमार ने पंचायतों, संबंधित विभागों और समुदायों के बीच समन्वय एवं समेकन के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र में पूर्व में आई आपदाओं के अनुभवों का उल्लेख करते हुए स्थानीय स्तर पर पंचायतों द्वारा निभाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

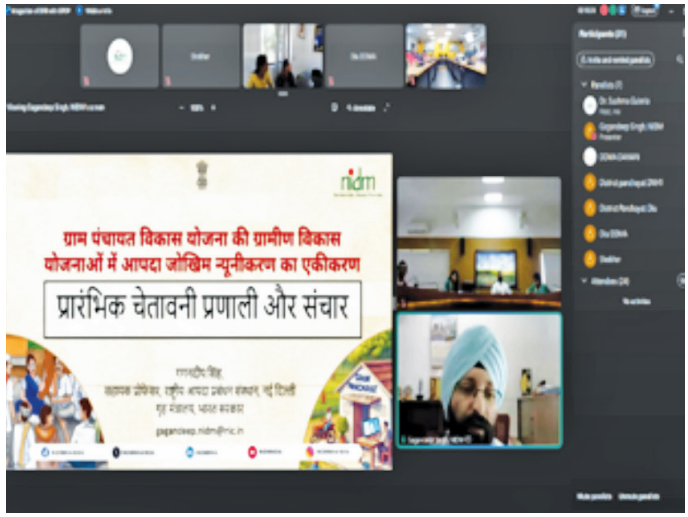

तकनीकी सत्रों में केंद्रशासित प्रदेश की आपदा जोखिम स्थिति, आपदा प्रबंधन संबंधी रूपरेखा एवं पंचायती राज संस्थानों की भूमिका, प्रौद्योगिकी एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों, ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं (वीडीएमपी) तथा जीपीडीपी और ग्रामीण विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को जोखिम का सहभागी मानचित्रण, संसाधनों की सूची तैयार करना, मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी), मॉक ड्रिल, अंतिम स्तर तक पूर्व चेतावनी का प्रसार तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), जलग्रहण क्षेत्र विकास और आजीविका संबंधी पहलों जैसी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के व्यावहारिक तरीकों से अवगत कराया गया।

वेबिनार में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर जोखिमों की पहचान, आपदा पूर्व तैयारी और आपदा-प्रतिरोधकता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को नियमित विकास नियोजन, बजट आवंटन और सामुदायिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग बनाया जाए।

अन्य संस्थागत क्रियाकलाप

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव के साथ संवाद, 07 जुलाई 2026, दिल्ली





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सचिव श्री नीलकंठ एस. आव्हाड, भा.प्र.से. के साथ दिल्ली परिसर में संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए एक संवाद सत्र आयोजित किया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार श्री रणदीप कुमार राणा ने विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रमुख दायित्वों, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक पहलों, डिजिटल शिक्षण मंचों तथा विभिन्न मंत्रालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयासों की जानकारी दी गई। श्री आव्हाड ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा जमीनी स्तर की पंचायती राज संस्थाओं से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक संचालित व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा किप्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सही सोच और दृष्टिकोण तथा पूर्व तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मुख्यधारा का प्रशासन इसकी आधारभूत कड़ी है। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMAs) तथा सरकारी विभागों की क्षमता निर्माण को निरंतर मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सलाहकार श्री नवल प्रकाश की उपस्थिति में आयोजित इस संवाद सत्र ने आपदा-रोधी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में संस्थागत प्रयासों को बेहतर ढंग से समन्वित करने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एकउपयोगी मंच प्रदान किया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान-विनिमय के लिए नाइजीरियाई और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडलों का एनआईडीएम दौरा, 09 जुलाई 2026





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के समन्वय से श्रीलंका और नाइजीरिया के 74 प्रतिनिधियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। यह प्रतिनिधिमंडल आपदा जोखिम प्रबंधन और संस्थागत क्षमता निर्माण से संबंधित अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों को समझने के उद्देश्य से अध्ययन एवं अनुभव-साझाकरण दौरे पर आया था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के उद्घाटन संबोधन से हुई। इसमें वैश्विक स्तर पर आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान-विनिमय और साझा अनुभवों के महत्व पर विशेष बल दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संकाय सदस्यों ने भारत के आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे, संस्थान की क्षमता निर्माण में प्रमुख भूमिका, आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियों तथा डिजिटल शिक्षण पहलों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के सिद्धांतों को शामिल करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। यह ज्ञान-विनिमय कार्यक्रम विभिन्न देशों के अनुभवों और कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा उभरते आपदा जोखिमों से मिलकर निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने का उपयोगी अवसर बना। कार्यक्रम का समापन श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने मूल्यवान जानकारी, विचार-विमर्श और सहयोगात्मक संवाद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया।

क्षमता निर्माण के माध्यम से आपदा शासन का सुदृढ़ीकरण: LBSNAA प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक का विशेष सत्र, 22 जुलाई 2026, मसूरी





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में आयोजित पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान "संकट की पूर्व तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण" विषय पर एक महत्वपूर्ण सत्र लिया। सत्र में प्रभावी आपदा शासन की आधारशिला के रूप में क्षमता निर्माण के महत्व पर चर्चा की गई। इस दौरान राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सक्रिय रोकथाम और जोखिम-सूचित शासन की दिशा में बदलाव की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। सत्र के दौरान भारत की बहु-स्तरीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था, आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों में हितधारकों की भूमिकाएं, दक्षता-आधारित प्रशिक्षण ढांचे तथा आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका जैसे प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला गया। श्री व्यास ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के प्रमुख संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रणनीतिक दायित्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संस्थान विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीतिगत सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन दक्षता-आधारित क्षमता निर्माण में निरंतर निवेश तथा विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई को मजबूत करने के आह्वान के साथ किया, जिससे कि शासन के प्रत्येक स्तर पर आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता को संस्थागत रूप दिया जा सके ।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाली मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का एनआईडीएम दौरा, 22 जुलाई 2026, दिल्ली





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM के दिल्ली परिसर में नेपाल के 19 मंत्रालयी अधिकारियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। यह दौरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यूनिसेफ नेपाल के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस दौरे के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संकाय सदस्यों ने संस्थान के प्रमुख दायित्वों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उन्नत अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता मजबूत करने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह दौरा क्षेत्रीय सहयोग और ज्ञान-विनिमय को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी मंच बना। नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने में विशेष रुचि व्यक्त की। इससे दोनों देशों के बीच संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता का संकेत मिला। इस संवाद से भारत और नेपाल के बीच सीमा-पार अनुभव एवं ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को और मजबूती मिली तथा दीर्घकालिक सामुदायिक मज़बूती और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में योगदान मिला।

आंध्र प्रदेश के राज्य अधिकारियों का क्षमता निर्माण एवं क्षेत्र का दौरा, 05 अगस्त 2026, विजयवाड़ा



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर में नवनियुक्त समूह-1 के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों (DSPs), जिला रोजगार अधिकारियों, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा मंडल प्रजा विकास अधिकारियों (MPDOs) के लिए "आपदा प्रबंधन में NIDM की भूमिका तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में बहु-विभागीय समन्वय एवं एकीकृत दृष्टिकोण का महत्व" विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रमुख दायित्वों की जानकारी दी गई। चर्चाओं में प्रभावी संचार, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा जिला एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष बल दिया गया। नवनियुक्त अधिकारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया, जोखिम आकलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा संकट की स्थिति में समयबद्ध कार्रवाई से संबंधित उनकी विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। सत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अधिकारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अपने विभागीय नियोजन, नियमित प्रशासनिक कार्यों तथा विकास संबंधी गतिविधियों में प्रभावी रूप से शामिल करें। सत्र का उद्देश्य अधिकारियों को जिला स्तर पर आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता बढ़ाने और आपातकालीन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, समन्वय क्षमता और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सशक्त करना था।

एनआईडीएम का दौरा: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), मंगलगिरी के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों का विशेष कार्यक्रम, 06 अगस्त 2026, विजयवाड़ा



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के विजयवाड़ा स्थित दक्षिणी परिसर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), मंगलगिरी के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय "आपदा प्रबंधन में एनआईडीएम की भूमिका तथा आपदाओं के दौरान जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों में अस्पताल की तैयारी" था। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को आपदाओं के प्रति अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एनआईडीएम के दायित्व और भूमिका को समझा तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं खतरा-विशिष्ट आकलन को अस्पताल की नियमित कार्यप्रणाली में शामिल करने के महत्व को जाना। सत्र के दौरान अस्पताल की आपदा प्रबंधन योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन करने, आपात स्थिति में अतिरिक्त मरीजों को संभालने की क्षमता बढ़ाने, बड़ी संख्या में घायलों के प्रबंधन तथा जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों में ट्राइएज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने तथा अस्पतालों, जिला प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं के बीच अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और पूर्व चेतावनी संबंधी सूचना के प्रभावी संचार को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने आपदाओं के लिए सक्षम और तैयार स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण हेतु नियमित मॉक ड्रिल, सिमुलेशन अभ्यास तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

एनआईडीएम में हिन्दी पखवाड़ा-2026 का आयोजन, 07-21 सितंबर 2026, दिल्ली





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने दिल्ली परिसर में 07 से 21 सितंबर 2026 तक हिन्दी पखवाड़ा-2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 07 सितंबर को आयोजित उद्घाटन समारोह में संस्थान के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. तथा मुख्य वक्ता, डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों के साथ-साथ अदिति महाविद्यालय और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के शैक्षणिक प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पखवाड़े के दौरान संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी के प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिन्दी टंकण, श्रुतलेख, टिप्पण लेखन और वाद-विवाद सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 21 सितंबर को आयोजित समापन समारोह में "राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास" विषय पर राजभाषा हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। गृह मंत्रालय की सहायक निदेशक (राजभाषा), सुश्री नंदिता निधि ने संविधान में हिन्दी से संबंधित प्रावधानों तथा राजभाषा के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर मुख्य वक्तव्य दिया। इस समारोह के समापन के अवसर पर संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम ने राजभाषा हिन्दी के उद्देश्यों के साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के व्यापक लक्ष्य को भी प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत एनआईडीएम और तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, 23 सितंबर 2026, तमिलनाडु



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी ने 23 सितंबर 2026 को चेन्नई में आपदा जोखिमों से निपटने और राज्य की आपदा-रोधी क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग के तहत संस्थागत क्षमता को मजबूत करने, वैज्ञानिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने तथा अंग्रेजी और तमिल में द्विभाषी प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य और जिला स्तर के मास्टर ट्रेनरों का एक विशेष समूह तैयार करना, स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा शैक्षणिक संस्थानों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) क्लब स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, यह सहयोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए खतरे, संवेदनशीलता और जोखिम के व्यापक मानचित्रण में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। स्थानीय विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करने तथा राज्य के विशेष आपदा जोखिमों से संबंधित संयुक्त अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

इस साझेदारी की एक प्रमुख पहल तमिलनाडु का एक गतिशील भू-स्थानिक डेटाबेस (Geo-Spatial Database) तैयार करना है। इसमें राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (NDEM), तमिलनाडु राज्य आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (TNSDEM) और इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (IDRN) को एकीकृत किया जाएगा। इससे आपातकालीन कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

विषयगत दृष्टिकोण

चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का अंत: अब आगे क्या?

सुश्री जया राय, कनिष्ठ परामर्शदाता, एनआईडीएम
श्री रणदीप कुमार राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम

प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) पृथ्वी के सबसे पुराने और सर्वाधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं। यद्यपि ये समुद्र तल के 1 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में फैली हैं, फिर भी विश्व में ज्ञात सभी समुद्री प्रजातियों में से 25 प्रतिशत से अधिक प्रजातियों के ये आश्रय स्थल हैं। प्रवाल भित्तियाँ लाखों लोगों को अनेक प्रकार की आर्थिक और पर्यावरणीय सेवाएँ प्रदान करती हैं। प्रवाल भित्तियाँ सामान्यत: 30° उत्तरी अक्षांश से 30° दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व की लगभग 75 प्रतिशत प्रवाल प्रजातियाँ कोरल ट्रायंगल क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह तथा तिमोर-लेस्ते तक विस्तृत है। प्रवाल भित्तियाँ बदलती जलवायु के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और इन परिवर्तनों के प्रति लगातार प्रतिक्रिया करती हैं। मानव गतिविधियों से होने वाले व्यवधान, तटीय क्षेत्रों से बहकर आने वाला प्रदूषित जल, समुद्र का अम्लीकरण, प्रदूषण, आवास का विनाश और जल की गुणवत्ता में गिरावट से प्रवालों को गंभीर खतरा है (चित्र 1)। इसके परिणामस्वरूप इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में पिछले कुछ दशकों के दौरान स्पष्ट और गंभीर गिरावट देखी गई है। प्रवाल ऐसे समुद्री अकशेरुकी जीव हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाकर प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। भित्ति बनाने वाले प्रवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले डाइनोफ्लैजेलेट्स नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रवालों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।

जब पर्यावरणीय दबाव के कारण यह सहजीवी संबंध प्रभावित होता हैए तो प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल को खो देते हैं या उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) कहा जाता है। इसके कारण प्रवालों का रंग फीका या सफेद दिखाई देने लगता है और उन्हें मिलने वाली ऊर्जा में काफी कमी हो जाती है। लंबे समय तक या अत्यधिक गर्मी के कारण बड़े पैमाने पर प्रवालों की मृत्यु हो सकती है और इसका प्रभाव पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है।

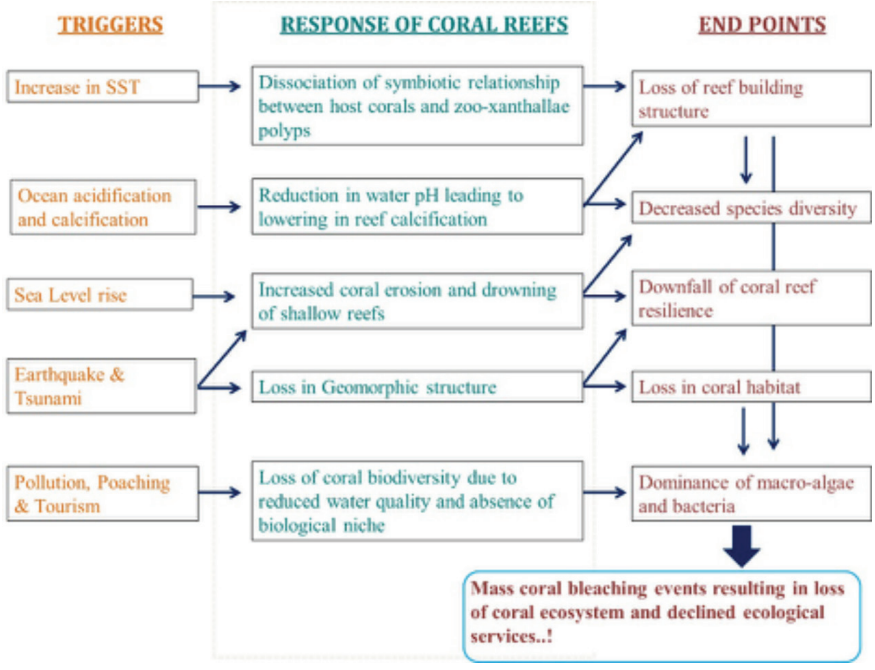

चित्र 1: विभिन्न कारकों और उनके जैविक एवं पारिस्थितिक प्रभावों के बीच कार्यात्मक संबंध, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाल भित्तियों से मिलने वाली पारिस्थितिक सेवाओं में कमी आती है (हेल्गो और अन्य, 2024 के अनुसार संशोधित)।

प्रवाल विरंजन की घटना से आशय उस अवधि और भौगोलिक क्षेत्र से है, जहाँ प्रवाल लंबे समय तक इतना अधिक तापीय दबाव झेलते हैं कि उनमें विरंजन होने लगता है। इसकी पहचान मुख्य रूप से समुद्र की सतह के बढ़े हुए तापमान (SST), तापीय असामान्यताओं तथा संचित डिग्री हीटिंग वीक (DHW) के आधार पर की जाती है। DHW (°C-सप्ताह) तापीय दबाव की तीव्रता और गर्मी की अवधि को संयुक्त रूप से दर्शाता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग का राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने पुष्टि की है कि विश्व ने प्रवाल विरंजन की चौथी दर्ज वैश्विक घटना का सामना कियाए जो पिछले एक दशक में ऐसी दूसरी घटना है। यह घटना वर्ष 2023 की शुरुआत में शुरू हुई और अटलांटिक, प्रशांत तथा हिंद महासागर के विभिन्न प्रवाल भित्ति क्षेत्रों को प्रभावित किया। जनवरी 2023 से सितंबर 2025 तक विरंजन स्तर के तापीय दबाव के कारण विश्व के लगभग 84.4 प्रतिशत प्रवाल भित्ति क्षेत्र प्रभावित हुए। इससे पहले वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटनाएँ 1998, 2010 और 2014-2017 के दौरान दर्ज की गई थीं। इसलिए चौथी घटना केवल बार-बार होने वाली घटनाओं की एक और कड़ी नहीं है, बल्कि यह इस बात का महत्वपूर्ण संकेत है कि विश्व के महासागरों का तापीय वातावरण कितनी तेजी से बदल रहा है। समुद्र की सतह के बढ़े हुए तापमान (SST) और प्रवाल विरंजन के बीच मजबूत और प्रतिकूल संबंध 1990 के दशक में ही स्थापित हो गया था। तापीय दबाव का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान के संपर्क में रहने की अवधि, तापमान का वास्तविक स्तर और तापमान में बदलाव की दर। औसत अधिकतम तापमान से 1-2°C अधिक तापमान यदि लंबे समय तक बना रहे,

तो प्रवाल विरंजन हो सकता है। इसके अतिरिक्त, अल नीनो जैसी समुद्री परिसंचरण में होने वाली गड़बड़ियों के कारण समुद्र की सतह के तापमान में अचानक वृद्धि होती हैए जो प्रवाल विरंजन की संभावना को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

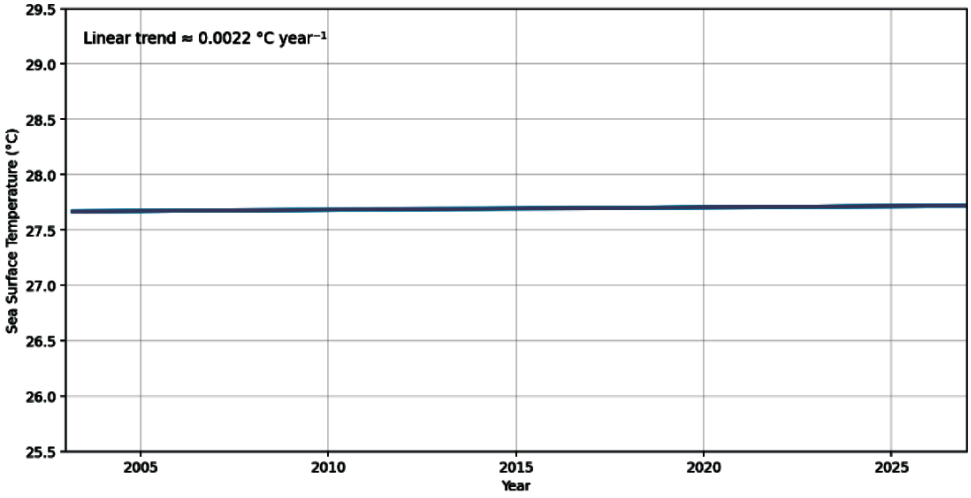

चित्र 2: समुद्र की सतह के तापमान (SST) में लगातार हो रही वृद्धि, जो प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते तापीय दबाव को दर्शाती है।

हिंद महासागर प्रवाल भित्तियों से जुड़े बदलते जोखिम को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। समुद्र की सतह के तापमान (SST) के दीर्घकालिक अवलोकनों से तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है, जबकि समुद्री ऊष्मा तरंगें तापीय दबाव का एक महत्वपूर्ण कारण बन गई हैं (चित्र 2)। महासागरों के लगातार गर्म होने के साथ प्रवाल विरंजन की घटनाएँ अधिक बार होने के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाली और गंभीर होती जा रही हैं। हिंद महासागर में वर्ष 2023 की समुद्री ऊष्मा तरंग अपनी विशेषताओं के मामले में अभूतपूर्व थी। इसका आरंभ पहले हुआए अवधि अधिक लंबी रही और इसकी तीव्रता भी इस क्षेत्र में पहले दर्ज की गई घटनाओं की तुलना में अधिक थी।

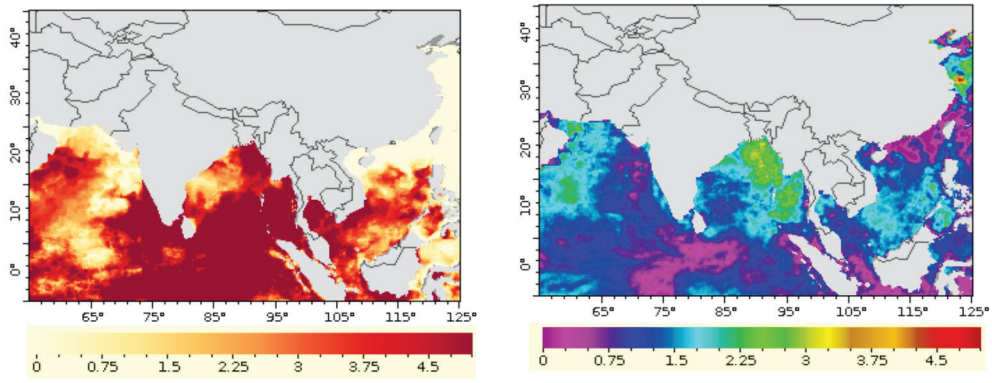

चित्र 3: चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन अवधि के दौरान वर्ष 2024 के लिए समुद्र की सतह के तापमान (SST) की विसंगति और डिग्री हीटिंग वीक (DHW) के मानचित्र।

चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि गर्म होते महासागर के प्रति प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र कितने संवेदनशील हैं। समुद्र की सतह के तापमान (SST) की प्रवृत्तियों, SST विसंगति (SSTA) और डिग्री हीटिंग वीक (DHW) की स्थितियों के अध्ययन से पता चलता है कि तापीय दबाव अब कोई अलग-थलग या कभी-कभार होने वाली घटना नहीं रह गया है। चित्र 3 वर्ष 2024 के दौरान SST विसंगतियों और DHW के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित करता है, जहाँ तापीय दबाव अधिक रहा। इसलिए, वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का समाप्त होना प्रवाल भित्तियों के सामने मौजूद जोखिमों का समाप्त होना नहीं है। बार-बार और लंबे समय तक होने वाले विरंजन से प्रवालों और उनसे जुड़े भित्ति पारिस्थितिकी तंत्रों की पूरी तरह से पुन: स्वस्थ होने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिएए इन पारिस्थितिकी तंत्रों का दीर्घकालिक भविष्य महासागरों के लगातार गर्म होने, समुद्री ऊष्मा तरंगों की आवृत्ति और प्रत्येक प्रवाल भित्ति तंत्र की अपनी क्षमता के बीच होने वाली परस्पर क्रिया पर निर्भर करेगा। चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का अनुभव महासागरीय परिस्थितियों की निरंतर निगरानी और समय पर आकलन के महत्व को भी रेखांकित करता है। इससे बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

प्रवाल भित्तियों की रक्षा के लिए जलवायु संबंधी प्रभावी कार्रवाई, बेहतर निगरानीए स्वस्थ प्रवाल भित्ति तंत्रों का संरक्षण और स्थानीय स्तर पर प्रवालों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना आवश्यक है। इसके साथ ही, प्रवाल भित्तियों के पुनर्स्थापन और उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रयोगशाला में प्रवाल संवर्धन तथा जिम्मेदार समुद्री एक्वेरियम पालन को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है।

प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्रों की क्षमता को मजबूत करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे मिलने वाली पारिस्थितिक सेवाएँ केवल प्रवाल भित्तियों तक सीमित नहीं हैं। ये समुद्री जैव विविधताए मत्स्य संसाधनों, तटीय आजीविकाओं और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना का अंत अंतिम पड़ाव के रूप में नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में देखे गए प्रभावों के विस्तार और क्षेत्रीय वितरण से सीखने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

आपदा रोधी भविष्य की ओर भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण और बेहतर पुनर्निर्माण के बदलते आयाम

श्री रोहित कुमार, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम
डॉ. कुंदन देवल, परामर्शदाता, एनआईडीएम

लंबे समय तक भारत में आपदा संबंधी व्यय का अर्थ मुख्य रूप से बड़ी आपदा के बाद लोगों तक सहायता पहुँचाना रहा है, जब बाढ़ का पानी उतर चुका होता था, तेज हवाएँ थम चुकी होती थीं या भूकंप के झटके समाप्त हो चुके होते थे। राहत शिविर लगानाए भोजन उपलब्ध करानाए सड़कों की मरम्मत करना और अपना घर खोने वाले परिवार को आर्थिक सहायता देना इसी कार्य का हिस्सा रहा है। यह कार्य आज भी महत्वपूर्ण है और ऐसी सहायता पाने के लिए किसी व्यक्ति को इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आपदा प्रबंधन से जुड़ी सोच आगे बढ़ चुकी है। आज आपदा वित्तपोषण की चर्चा पूरे आपदा प्रबंधन चक्र के संदर्भ में की जा रही है, जिसमें पूर्व तैयारी और शमन से लेकर प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण तक सभी चरण शामिल हैं। इसके पीछे सोच सरल है। कोई समुदाय बाढ़ आने के दिन सुदृढ़ नहीं बनता। वह वर्षों पहले किए गए उन निवेशों के कारण आपदा के प्रति अधिक सक्षम बनता है, जिनसे तटबंध बनाए गए, सुरक्षित विद्यालय तैयार किए गए, पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गई और राजमिस्त्रियों को सुरक्षित निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश: एक बड़ा बदलाव

पंद्रहवें वित्त आयोग (2021-26) ने इस सोच को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन कोषों की व्यवस्था की, जिसमें सामान्य प्रतिक्रिया और राहत के साथ-साथ शमन तथा पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया। राज्य स्तरीय कोषों के लिए अनुशंसित ₹1,60,153 करोड़ में से 80 प्रतिशत राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और 20 प्रतिशत राशि राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के लिए निर्धारित की गई। आपदा जोखिम प्रबंधन के कुल कोष में 40 प्रतिशत राशि प्रतिक्रिया और राहत, 30 प्रतिशत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण तथा 10 प्रतिशत पूर्व तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए रखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के लिए ₹13,693 करोड़ की राशि निर्धारित की गई। इसके अलावा, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत ₹20,539 करोड़ तथा राज्य स्तरीय कोषों के अंतर्गत ₹48,046 करोड़ का प्रावधान किया गया। इससे पहले, जैसा कि वित्त आयोग ने स्वयं उल्लेख किया था, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए कोई अलग वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं था। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने अगस्त 2024 में दिशा-निर्देश जारी किए।

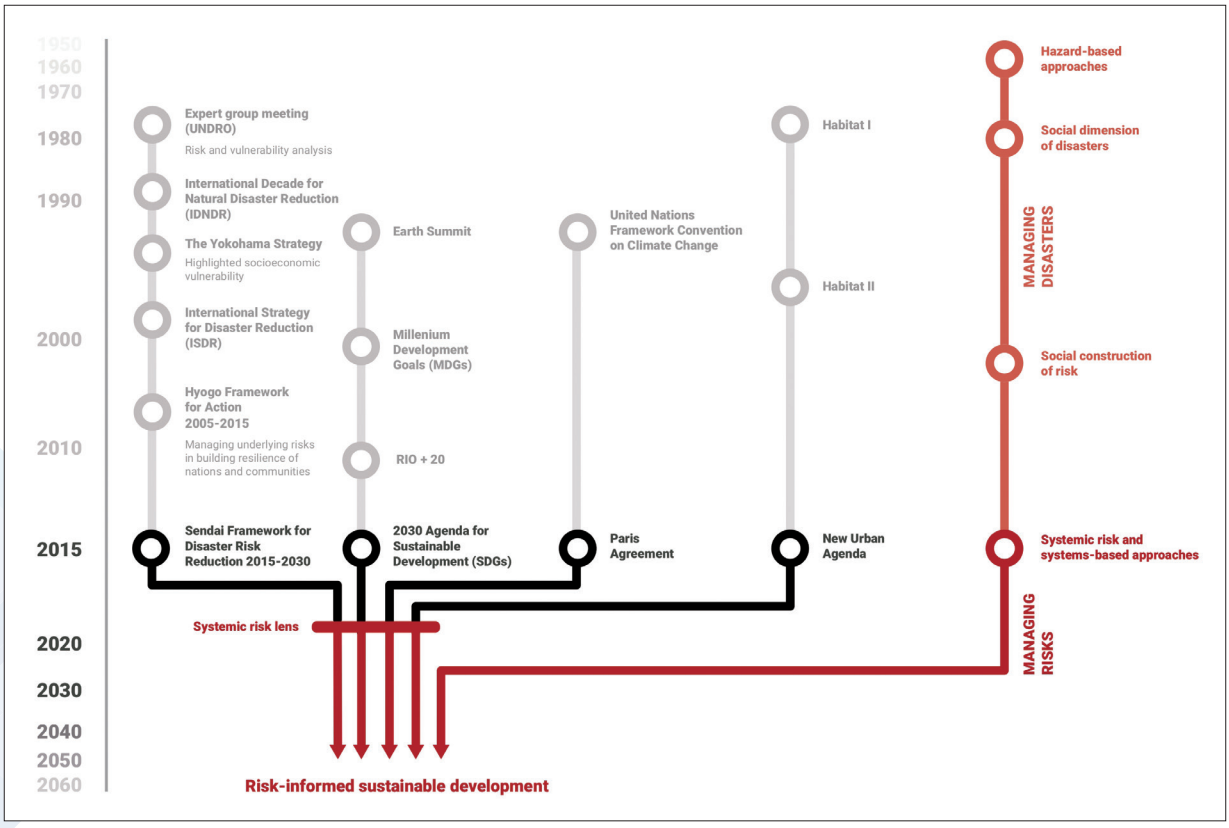

चित्र 1: जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण में आया बड़ा बदलाव।

कोष का आकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका संदेश था। भविष्य के आपदा जोखिम को कम करने के लिए निर्धारित धनराशि को अब व्यवस्था में अलग स्थान दिया गया था। चित्र 1 दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सोच में किस प्रकार आपदाओं के प्रबंधन से लेकर आपदा जोखिम के प्रबंधन तक में बदलाव आया है।

आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA) का महत्व

बचाव दलों के वापस चले जाने के साथ आपदा समाप्त नहीं हो जाती। आपदा के बाद होने वाले वास्तविक नुकसान सामने आने में अधिक समय लगता है। आय का

वह अवसर जो चला गया, वह दुकान जो दोबारा नहीं खुल सकी, वह स्वास्थ्य केंद्र जो लंबे समय तक बंद रहा और वह परिवार जो और अधिक कर्ज में डूब गया। आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन का उद्देश्य इन सभी प्रभावों को सामने लाना है। इसमें तीन सरल सवालों के जवाब तलाशे जाते हैं – क्या क्षतिग्रस्त हुआ, क्या नुकसान हुआ और पुनर्प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक होगा। तीसरे सवाल के साथ बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better) की अवधारणा जुड़ती है। इसका अर्थ केवल पहले जैसी स्थिति में चीजों को दोबारा खड़ा करना नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण में ऐसी अतिरिक्त लागत को भी शामिल करना हैए जिससे भविष्य में संरचनाएँ और व्यवस्थाएँ पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और मजबूत बन सकें।

कच्छ, 2001 से मिली सीख

वर्ष 2001 के भूकंप के बाद गुजरात में किया गया पुनर्निर्माण आज भी भारत के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। कच्छ में पुनर्प्राप्ति का अर्थ केवल दीवारों का दोबारा निर्माण करना नहीं था। कच्छ नव निर्माण अभियान ने लगभग 600 प्रभावित गाँवों और कस्बों में काम किया। इस पहल ने समुदायों को सरकारी विभागों और तकनीकी विशेषज्ञों से जोड़ा, क्षति और नुकसान के आकलन में सहायता की, ग्राम समितियों को सहयोग दिया और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद की। परिवारों को केवल सहायता की प्रतीक्षा करने वाले लोगों के रूप में नहीं देखा गया। उन्हें अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े निर्णयों में भाग लेने का अवसर दिया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ने गुजरात को समुदाय-आधारित पुनर्निर्माण के एक उदाहरण के रूप में रेखांकित कियाए जहाँ घरों के मालिकों और स्थानीय राजमिस्त्रियों ने मिलकर ऐसे घर बनाए जो अधिक सुरक्षितए स्थानीय संस्कृति के अनुरूप और टिकाऊ थे।

यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बेहतर पुनर्निर्माण केवल अधिक धनराशि आवंटित करने से संभव नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि धन कहाँ खर्च किया जाता है, प्राथमिकताएँ कैसे तय की जाती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी होती है।

गृह मामलों पर संसद की समिति के निष्कर्ष

डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आपदा प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट में आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA) को एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। हालांकि, समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि PDNA कितनी तेजी से पूरा किया जाता हैए इसमें राज्यों के बीच कितनी एकरूपता है और इसके निष्कर्ष प्रभावित क्षेत्रों तक वास्तव में पहुँचने वाली सहायता से किस हद तक मेल खाते हैं। समिति ने राज्यों में PDNA की प्रक्रिया को एक समान बनाने की सिफारिश की है, जिसमें निर्धारित समय.सीमाए स्पष्ट कार्य-पद्धति और विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक प्रारूप शामिल हों।

सोलहवाँ वित्त आयोग: कोष का आवंटन

सोलहवें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026-27 से 2030-31 तक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की, जिसे 1 फरवरी 2026 को संसद के समक्ष रखा गया। सरकार ने आपदा प्रबंधन से संबंधित आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

आयोग ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के लिए संयुक्त रूप से ₹2,04,401 करोड़ की सिफारिश की है। इसका वितरण 80:20 के अनुपात में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिक्रिया और शमन कोषों के लिए ₹79,406 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, पाँच वर्षों के लिए आपदा प्रबंधन हेतु कुल ₹2,83,807 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। तालिका 1 में इसका विवरण दिया गया है।

राज्य स्तरीय कोषों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में होगी, जबकि पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। राष्ट्रीय कोषों से मिलने वाली केंद्रीय सहायता के मामले में, प्रतिक्रिया और राहत को छोड़कर, निर्धारित क्रमिक व्यवस्था जारी रहेगी। राज्यों को ₹250 करोड़ तक की सहायता पर 10 प्रतिशत, ₹500 करोड़ तक की सहायता पर 20 प्रतिशत और इससे अधिक की सहायता पर 25 प्रतिशत का योगदान करना होगा। वहीं, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए उनका योगदान 10 प्रतिशत ही रहेगा।

तालिका 1: सोलहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आपदा निधियाँ, 2026-27 से 2030-31 (₹ करोड़ में)

निधि	कुल	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (80%)	1,63,521	1,24,732.65	38,788.35
राज्य आपदा शमन कोष (20%)	40,880	31,183.20	9,696.80
राज्य निधियाँ, कुल	**2,04,401**	**1,55,915.85**	**48,485.15**
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष	79,406	79,406	सहायता प्राप्त करते समय निर्धारित अंशदान
कुल कोष	**2,83,807**		

स्रोत: कुल राशि तथा राज्य निधियों में केंद्र और राज्य के हिस्से के लिए फरवरी 2026 में सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन; निधिवार केंद्र और राज्य के हिस्से के लिए वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर RGICS द्वारा तैयार सारणी।

पंद्रहवें वित्त आयोग की तुलना में, राज्य निधियों में लगभग 27.6 प्रतिशत और राष्ट्रीय निधियों में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: पंद्रहवें और सोलहवें वित्त आयोग की तुलना (₹ करोड़ में)

निधि	पन्द्रहवां वित्त आयोग (2021-26)	सोलहवां वित्त आयोग (2026-31)	परिवर्तन
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	1,28,122	1,63,521	+27.6%
राज्य आपदा शमन कोष	32,031	40,880	+27.6%
राज्य कोष, कुल	**1,60,153**	**2,04,401**	**+27.6%**
राष्ट्रीय कोष (NDRF + NDMF)	68,463	79,406	+16.0%
कुल कोष	**2,28,616**	**2,83,807**	**+24.1%**

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग के राज्य निधियों के लिए एनडीएम इंडिया (गृह मंत्रालय); सोलहवें वित्त आयोग के आंकड़ों के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन; पंद्रहवें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कोषों (NDRF ₹54,770 करोड़ + NDMF ₹13,693 करोड़) के लिए सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट। प्रतिशतों की गणना यहाँ की गई है।

राज्य का हिस्सा: राज्य के हिस्से का 70 प्रतिशत निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि किसी राज्य ने 2011-12 से 2023-24 के बीच आपदाओं पर वास्तव में कितना खर्च किया है। इसमें कोविड-19 के वर्ष शामिल नहीं किए गए हैं। शेष 30 प्रतिशत हिस्सा आपदा जोखिम सूचकांक (Disaster Risk Index) पर आधारित होगा, जिसमें खतरे, जोखिम के संपर्क (exposure) और संवेदनशीलता (vulnerability) को ध्यान में रखा जाता है। अब इस सूचकांक में 10 प्रकार के खतरों को शामिल किया गया है। जोखिम के संपर्क को मापने के लिए अक्टूबर 2026 की अनुमानित जनसंख्या और संवेदनशीलता को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया गया है।

आंकड़ों से आगे बढ़कर, आयोग ने कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पूर्व तैयारी और क्षमता निर्माण को प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखा गया था, जबकि अब इन्हें न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के भीतर राज्य प्रतिक्रिया एवं राहत मद तथा पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद के बीच धनराशि का पुनर्विनियोजन कर सकते हैं। हालांकि, प्रतिक्रिया कोष और शमन कोष के बीच धनराशि का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। हीटवेव और आकाशीय बिजली को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही, राज्य को स्थानीय स्तर की ऐसी आपदाओं के लिए, जिन्हें अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, अपने SDRF की 10 प्रतिशत तक राशि का उपयोग करने की अनुमति देने वाला प्रावधान भी जारी रहेगा। यदि किसी राज्य के पास अप्रयुक्त SDRF की राशि उसकी पिछले तीन वर्षों की कुल आवंटित राशि से अधिक हो जाती है, तो उसे जारी की जाने वाली धनराशि रोकी जा सकती है। वित्त वर्ष 2027-28 से, किसी राज्य को अनुदान प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष 31 मई तक अपने आपदा संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) में पूरी तरह दर्ज और सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

अनुशंसाएं एवं आगे की राह

1) आपदा पश्चात् आवश्यकतों का आकलन (PDNA) को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। इसके लिए मानकीकृत आकलन प्रारूप अपनाए जाएँ, प्रारंभिक अंतरिम निष्कर्ष समय पर उपलब्ध कराए जाएँ तथा आकलन से सामने आई आवश्यकताओं और पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध वित्तपोषण के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किया जाए, जिससे कि पुनर्प्राप्ति से जुड़े निर्णय समय पर और उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिए जा सकें।

2) जोखिम-संवेदी पुनर्प्राप्ति निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए पुनर्निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षित निर्माण, आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को शामिल किया जाए तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त तकनीकी मानकों और नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3) आपदा जोखिम संबंधी सूचना के आधार को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए आपदा से होने वाली क्षति के बेहतर डेटाबेस विकसित किए जाएँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) का प्रभावी उपयोग किया जाए, खतरा मानचित्रों को अद्यतन किया जाए तथा अत्यधिक गर्मी, आकाशीय बिजली और शहरी बाढ़ जैसे उभरते जोखिमों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4) आपदा वित्तपोषण को अधिक समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए तकनीकी दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन की रूपरेखा पहले से उपलब्ध रखी जाए तथा व्यय की निगरानी केवल धनराशि के उपयोग तक सीमित न रहकर उससे प्राप्त होने वाले मापनीय जोखिम न्यूनीकरण परिणामों के आधार पर भी की जाए।

5) पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रभावित परिवारों, स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संस्थाओं को आवश्यकता आकलन, पुनर्प्राप्ति की योजना और उसके कार्यान्वयन में शामिल किया जाए तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित तकनीकी सहायता सुनिश्चित की जाए।

6) भारत में मुख्य रूप से राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण और आपदा-रोधी क्षमता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पुनर्प्राप्ति के लिए किए जाने वाले निवेश भविष्य में होने वाले आपदा जोखिम को कम करने में भी योगदान दें।

7) समुदायों, सरकारों और तकनीकी संस्थानों के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि पुनर्प्राप्ति की प्रक्रियाएँ सुरक्षित बस्तियों, आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे, मजबूत आजीविका और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने में प्रभावी योगदान दे सकें।

स्रोत: गृह मामलों संबंधी विभाग-संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की 261 वीं रिपोर्ट पर राज्यसभा सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति (पीआईबी, 7 अगस्त 2026); सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी भारत सरकार का व्याख्यात्मक ज्ञापन (फरवरी 2026); गृह मंत्रालय एवं एनडीएम इंडिया की पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों तथा अगस्त 2024 के पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण संबंधी दिशा-निर्देशों पर सामग्री; तथा सोलहवें वित्त आयोग पर आरजीआईसीएस और डाउन टू अर्थ के विश्लेषण।

लुप्त होती आर्द्रभूमियां (वेटलैंड्स): बिहार के कंवर झील की कहानी

कुमार अभिनव
अनुसंधान सहयोगी, एनआईडीएम

रामसर कन्वेंशन के अनुसार (2007), आर्द्रभूमियों से आशय ऐसे क्षेत्रों से है, जो दलदली भूमि, फेन, पीटभूमि या जल क्षेत्र के रूप में प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। इनमें स्थिर या बहता हुआ मीठा, खारा या लवणीय जल पाया जाता है। इसमें समुद्री जल के वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ ज्वार उतरने के समय पानी की गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती। आर्द्रभूमि के तीन प्रमुख संरचनात्मक घटक होते हैं- जलविज्ञान, जलीय मिट्टी और जल-आश्रित वनस्पति। इन्हें पृथ्वी का 'गुर्दा' भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल को छानकर स्वच्छ करने के साथ-साथ भूजल के पुनर्भरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो मनुष्य और पर्यावरण को खरबों रुपये के लिए आवास, कार्बन का अवशोषण एवं भंडारण तथा खाद्य उत्पादन जैसी सेवाएँ शामिल हैं। अपने अमूल्य लाभों के बावजूद, अनुमान है कि दुनिया के लगभग 50 प्रतिशत आर्द्रभूमि क्षेत्र का नुकसान हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप आर्द्रभूमियों और समुदाय के कल्याण में उनके योगदान से जुड़ी सेवाओं में भी गिरावट आई है। अकेले पिछले चार दशकों में लगभग 37 प्रतिशत आर्द्रभूमियाँ नष्ट हो चुकी हैं और इनके नष्ट होने की दर उष्णकटिबंधीय वनों जैसे अन्य प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में काफी अधिक रही है (UNFCCC, 2018)। भारत में पिछले 25 वर्षों के दौरान आर्द्रभूमि क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत की कमी का अनुमान है। इसके प्रमुख कारणों में कृषि क्षेत्र का विस्तार, शहरीकरण, गाद जमना और जल प्रवाह की प्राकृतिक व्यवस्था में बदलाव शामिल हैं।

कंवर झील, जिसे स्थानीय रूप से काबर ताल के नाम से भी जाना जाता है, गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील माना जाता है। 20 जुलाई 2020 को कंवर झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट के रूप में नामित किया गया और यह भारत की 39वीं रामसर साइट बनी। 1980 के दशक में मानसून के दौरान कंवर झील का क्षेत्रफल 6,786 हेक्टेयर था, जो 2025 में घटकर केवल 2,620 हेक्टेयर रह गया, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। कंवर झील क्षेत्र में भूमि उपयोग/भूमि आवरण (LULC) और जलवायु परिवर्तनशीलता की गतिशीलता में हुए बदलावों पर 35 वर्षों के अध्ययन में उपग्रह चित्रों, जलवायु संबंधी अभिलेखों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन का उपयोग किया गया। इससे पता चलता है कि वर्ष 1990 से 2025 के बीच आर्द्रभूमि क्षेत्र में हुई कमी काफी गंभीर और चिंताजनक रही है। भूमि उपयोग/भूमि आवरण (LULC) में हुए बदलाव के मानचित्रण के आधार पर, वर्ष 1990 (07/11/1990) और 2025 (10/11/2025) के नवंबर माह के मानसूनोत्तर मौसम के Landsat आँकड़ों की तुलना की गई। झील की रामसर सीमा के भीतर अंतर्देशीय आर्द्रभूमि के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक जल क्षेत्र (Water Extent) 936.83 हेक्टेयर (35.76 प्रतिशत) से घटकर मात्र 36.42 हेक्टेयर (1.39 प्रतिशत) रह गया। यह जल क्षेत्र में 96.1 प्रतिशत की भारी कमी को दर्शाता है (चित्र 1)। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर कंवर झील के क्षरण के प्रमुख कारणों में कृषि अतिक्रमण, निकटवर्ती बूढ़ी गंडक नदी से आने-जाने वाले जलमार्गों का उचित प्रबंधन न होना तथा जलवायु परिवर्तनशीलता सामने आई। बूढ़ी गंडक नदी मानसून के दौरान झील में जल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यह भी पाया गया कि रामसर सीमा के भीतर कृषि क्षेत्र वर्ष 1990 में 42.77 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 51.23 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में आर्द्रभूमि वनस्पति के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रफल 562.64 हेक्टेयर से बढ़कर 1,241.22 हेक्टेयर हो गया। इन विपरीत प्रवृत्तियों से आर्द्रभूमि के क्षेत्रफल में बदलाव, वनस्पति की गतिशीलता अथवा भूमि आवरण के वर्गीकरण में हुए परिवर्तन का संकेत मिलता है। हालांकि, विभिन्न भूमि-आवरण श्रेणियों के बीच हुए वास्तविक बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे और विश्लेषण की आवश्यकता है।

पटना स्थित IMD के मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त तापमान और वर्षा के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। यह केंद्र कंवर झील से लगभग 132 किलोमीटर दूर है। विश्लेषण से विभिन्न मौसमों में जलवायु परिवर्तनशीलता का असमान स्वरूप सामने आया। लगभग सभी मौसमों में न्यूनतम तापमान (Tmin) में वृद्धि देखी गई तथा वार्षिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रवृत्ति पाई गई (Kendall's Tau = 0.674)। अधिकतम तापमान (Tmax) में मौसम के अनुसार अलग-अलग प्रवृत्तियाँ देखी गईं। मानसून के दिनों में तापमान में वृद्धि हुई (Tau = 0.482), जबकि सर्दियों में तापमान में मामूली कमी देखी गई। यह भी पाया गया कि मानसूनोत्तर रातों में तापमान वर्ष के अन्य समय की तुलना में सबसे अधिक, 25.92°C, रहा। इसका परिणामस्वरूप वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि हुई और आर्द्रभूमि का जल अधिक गर्म हुआ। इससे आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है, जिससे आर्द्रभूमि का गंभीर क्षरण और उससे मिलने वाली पारिस्थितिक सेवाओं में कमी हो सकती है। आर्द्रभूमियाँ अपनी जैव विविधता और जैव-भूरासायनिक चक्रों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट तापमान सीमाओं पर निर्भर करती हैं।

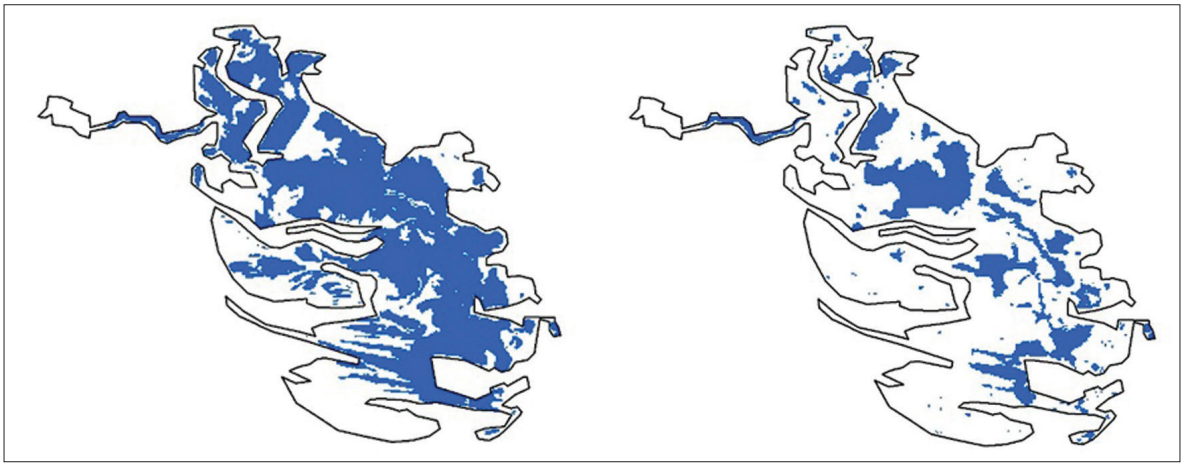

चित्र 1: वर्ष 1990 (बाएँ) और 2025 (दाएँ) में कंवर झील के जल क्षेत्र में कमी को दर्शाया गया है। स्रोत: लेखक द्वारा USGS Earth Explorer वेबसाइट से डाउनलोड किए गए Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1 और Landsat 5 TM C1 Level-1 चित्रों के आधार पर तैयार।

कंवर झील में समय के साथ हुए बदलावों के वास्तविक प्रभावों को समझने के लिए झील द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मौद्रिक मूल्यांकन किया गया। इसमें प्रावधानकारी, विनियामक, आवासीय और सांस्कृतिक सेवाएँ शामिल हैं। इस प्रक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन (Ecosystem Services Valuation – ESV) कहा जाता है। इसके लिए लाभ अंतरण विधि (Benefit Transfer Method – BTM) का उपयोग करते हुए तीन व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्यांकन रूपरेखाओं—Costanza, De Groot और TEEB—को अपनाया गया। Costanza रूपरेखा व्यापक वैश्विक मौद्रिक अनुमान प्रदान करती है, जबकि De Groot पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और उनसे मिलने वाली सेवाओं पर जोर देती है। वहीं, TEEB जैव विविधता, अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। इन पूरक रूपरेखाओं के उपयोग से कांवर झील की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अनुमानित मौद्रिक मूल्य और समय के साथ उनमें हुए बदलावों की तुलना करना संभव हुआ। कुल पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्य (Total Ecosystem Service Value – TESV) का अनुमान इस धारणा के आधार पर लगाया गया कि Costanza, De Groot और TEEB रूपरेखाओं से प्राप्त अंतरण किए गए प्रति-इकाई मूल्यों को कांवर झील के संबंधित बायोम पर लागू किया जा सकता है और आकलन की पूरी अवधि के दौरान ये मूल्य स्थिर रहते हैं। इसके लिए वर्ष 1990 में भूमि आवरण के प्रारंभिक वितरण को आधार वर्ष माना गया। समय के साथ TESV में हुए बदलावों का प्रमुख कारण भूमि उपयोग और भूमि आवरण में हुए परिवर्तन को माना गया है।

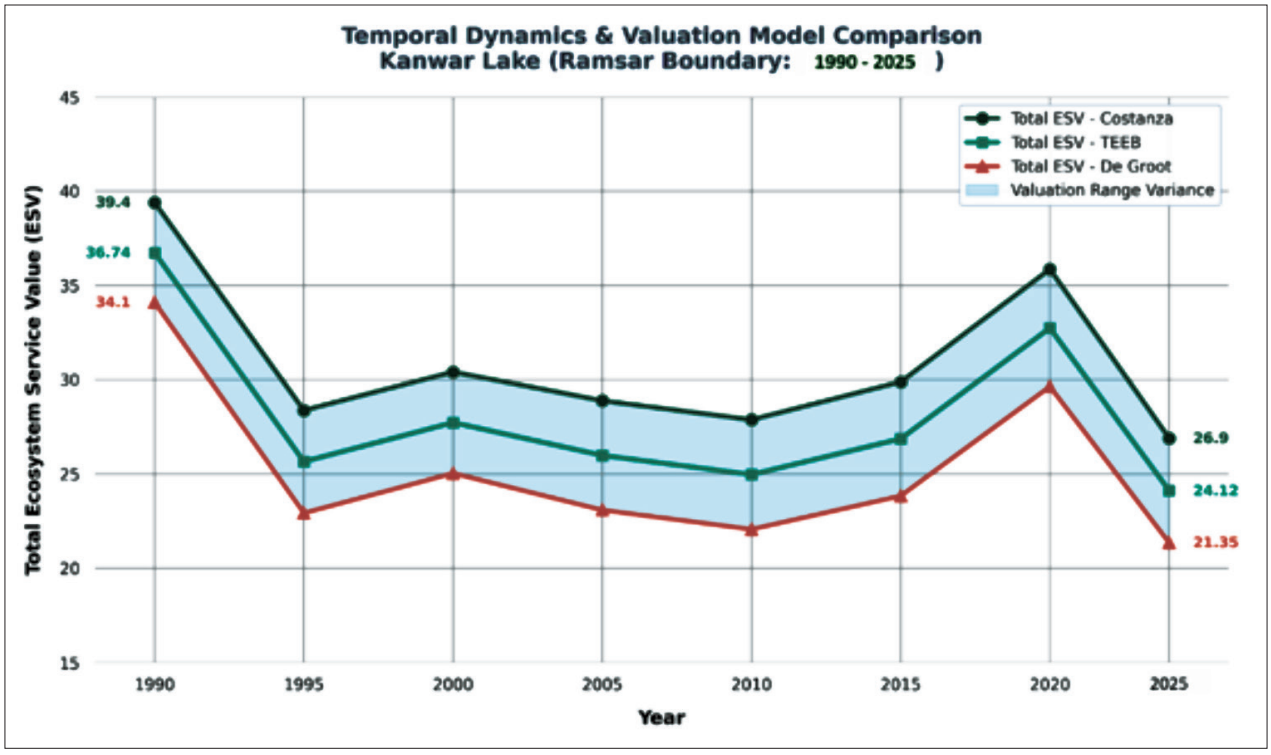

चित्र 2: तीन मूल्यांकन मॉडलों के तहत रामसर सीमा के भीतर कुल इकोसिस्टम सेवा मूल्य (1990–2025)।

Costanza गुणांकों के आधार पर किए गए आकलन से पता चला कि रामसर सीमा के भीतर कुल पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्य वर्ष 1990 में 39.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2025 में घटकर 26.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। यह 31.7 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। De Groot और TEEB मॉडल में भी क्रमश: 37.4 प्रतिशत और 34.4 प्रतिशत की अधिक कमी दर्ज की गई (चित्र 2)। वर्ष 2000 से 2015 के बीच की अवधि का आर्द्रभूमि की स्थिति पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसमें वर्ष 2010 सबसे खराब रहा। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वर्ष 2010 में इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति रही थी, जो कांवर झील से प्राप्त न्यूनतम पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्य में भी परिलक्षित होती है। वर्ष 2020 में बाढ़ के कारण कांवर झील के जल क्षेत्र में वृद्धि हुई, लेकिन अगले पाँच वर्षों में स्थिति फिर से पहले की तरह खराब होती चली गई।

अध्ययन से प्राप्त समग्र निष्कर्ष कांवर झील को बचाने के लिए तत्काल और कड़े प्रबंधन उपाय किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:

(i) आर्द्रभूमि में जल की पर्याप्त आवक सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक आहर-पाइन प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए। यह बिहार की पारंपरिक सामुदायिक जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मानसूनी जल के बहाव को एकत्रित, संग्रहित, प्रवाहित और वितरित कर सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन किया जाता है। (ii) मुख्य जल प्रवेश मार्गों में मौजूद अवरोधों को हटाकर तथा अतिक्रमण समाप्त करके कांवर झील को बूढ़ी गंडक नदी से पुन: जोड़ा जाए। (iii) कंवर झील के सतत प्रबंधन के लिए स्थानीय आर्द्रभूमि प्रबंधन समितियों का गठन किया जाए, जिनमें किसानों और मछुआरों को भी शामिल किया जाए। (iv) स्थानीय लोगों की आजीविका को इको-टूरिज्म और आर्द्रभूमि के अनुकूल कृषि जैसी वैकल्पिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। (v) अतिक्रमण की वास्तविक समय में निगरानी के लिए उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली विकसित और लागू की जाए।

चमोली से रुस्वा तक : गर्म होते हिमालय में श्रृंखलाबद्ध रॉक-आइस एवलॉन्च आपदाएँ

डॉ. रविंद्र सिंह, वरिष्ठ परामर्शदाता, एनआईडीएम
डॉ. शाश्वत सन्याल, डीआरआर विशेषज्ञ, आईसीआईएमओडी
कर्नल विनीत बंगा, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम

हिमालय तेजी से बदलते और चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का सामना कर रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्रभाव हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ढलानों की अस्थिरता बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लेशियरों का पीछे हटना, परमाफ़्रॉस्ट का पिघलना और कई स्थानों पर चट्टान तथा बर्फ के बीच की पकड़ कमजोर होना जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसी बदलते परिदृश्य में भारत और नेपाल में रॉक-आइस एवलॉन्च की दो महत्वपूर्ण घटनाएँ सामने आईं। पहली घटना 7 फरवरी 2021 को लगभग 10:08:45 बजे भारत में उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर क्षेत्र की रौंथी चोटी (5,474 मीटर) पर हुई। दूसरी घटना 26 अगस्त 2026 को लगभग 08:37 बजे (NPT) नेपाल के रसुवा जिले में लांगटांग लिरुंग चोटी (7,227 मीटर) पर हुई, जहाँ लगभग 5,150 मीटर की ऊँचाई पर स्थित क्षेत्र से हिम-चट्टान का खिसकाव शुरू हुआ। दोनों घटनाओं ने नीचे की ओर स्थित अवसंरचना को प्रभावित किया और जनहानि तथा संपत्ति के नुकसान का कारण बनीं। चमोली की घटना में ऋषिगंगा नदी (भारत) और रसुवा की घटना में भोटेकोशी नदी (नेपाल) प्रभावित हुई।



चित्र 1: रौंथी चोटी (चमोली, भारत) और लांगटांग लिरुंग चोटी (रसुवा, नेपाल) में रॉकफॉल-आइस एवलाक्र।

ये आपदाएँ विशेष रूप से खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये संकरी हिमालयी नदी घाटियों से बहुत तेज गति से नीचे की ओर बढ़ सकती हैं और अपने साथ मलबा बहाकर बस्तियों, सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं, पुलों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। भारत के चमोली में हुई घटना में लगभग 204 लोगों की मृत्यु हुई या वे लापता हुए, जबकि नेपाल में 20 सितंबर 2026 तक NDRRMA के अनुसार 1,451 लोगों की मृत्यु हुई, 5,786 लोग लापता रहे, जिनमें 636 विदेशी नागरिक शामिल थे, और 13,784 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दोनों घटनाओं में क्षति का स्तर और उपलब्ध नुकसान के आँकड़े अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों के पीछे की परिस्थितियाँ काफी हद तक समान थीं। दोनों घटनाओं में जलवायु ने एक पूर्व-स्थितिजन्य कारक (pre-conditioning factor) के रूप में भूमिका निभाई, न कि इसे घटना का एकमात्र सिद्ध कारण माना गया है। सितंबर 2026 में रसुवा की घटना पर World Weather Attribution (WWA) के त्वरित विश्लेषण के अनुसार, मानव-जनित तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियरों का पतला होना और परमाफ़्रॉस्ट का पिघलना, रिकॉर्ड गर्म वर्ष के प्रभाव से और बढ़ गया। इससे रॉक-आइस दीवार की स्थिरता प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएँ अधिक तीव्र हुईं। हालांकि, अध्ययन ने इस घटना का पूर्ण कारण-निर्धारण है नही पता चल पाया क्योंकि ढलान की अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थानीय भूगर्भीय संरचना और भूकंपीय प्रभाव भी शामिल रहे हैं।

जैसे-जैसे ऊँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ रहा है, ऐसी घटनाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR), व्यापक हिंदू कुश हिमालय (HKH) तथा दुनिया की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में अधिक व्यापक होती जा रही हैं। चमोली और रसुवा की घटनाएँ अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 2016 के अरु ग्लेशियर के ढहने और 2018 की सेदोंगपु श्रृंखलाबद्ध घटना तथा 2025 में स्विस आल्प्स के ब्लाटेन की घटना भी इसी प्रकार की घटनाओं से जुड़ी हैं। ICIMOD के HI-WISE आकलन (2023) में इस अंतर्निहित प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है, इसके अनुसार, वर्ष 2011-2020 के दौरान HKH क्षेत्र के ग्लेशियरों के लुप्त होने की दर पिछले दशक की तुलना में 65 प्रतिशत अधिक रही। उच्च उत्सर्जन वाले परिदृश्यों में वर्ष 2100 तक वर्तमान ग्लेशियर आयतन का 80 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। इसके साथ व्यापक स्तर पर परमाफ़्रॉस्ट के क्षरण से ऊँचाई वाले क्षेत्रों की ढलानों की स्थिरता भी प्रभावित हो रही है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी श्रृंखलाबद्ध घटनाओं के लिए आवश्यक पूर्व-स्थितियाँ अधिक सामान्य होती जा रही हैं, भले ही प्रत्येक ऐसी घटना अपने आप में अभी भी दुर्लभ हो।

दोनों घटनाओं में श्रृंखलाबद्ध (cascading) घटनाओं का क्रम देखा गया। जहाँ पर ग्लेशियर क्षेत्र में ऊँचाई पर हुआ प्राथमिक घटना रॉक-आइस एवलॉन्च नीचे की ओर बहते हुए मलबे के कारण नदी के अस्थायी अवरोध से द्वितीय घटना का कारण बनी। इससे मलबे से बनी अस्थायी झील का निर्माण हुआ, जिसके बाद तृतीय घटनाओं के रूप में मलबा प्रवाह तथा अचानक आई बाढ़ (flash flood) ने नीचे की ओर व्यापक प्रभाव डाला। वर्ष 2021 में रौंथी चोटी से हुआ हिम-चट्टान का खिसकाव लगभग '27 मिलियन क्यूबिक था' और जिसकी अनुमानित गति 10-13 मीटर प्रति सेकंड थी। रसुवा की घटना में खिसकने वाला द्रव्यमान इससे लगभग पाँच गुना अधिक था और ऊपरी हिस्से में इसकी गति भी कई गुना अधिक रही। इसके बावजूद, दोनों घटनाओं में घटनाक्रम का मूल स्वरूप समान था रॉक-आइस का

टूटना, मलबे से नदी का अस्थायी अवरोध और झील का निर्माण, तथा उसके बाद मलबा प्रवाह। इस श्रृंखलाबद्ध आपदा के कारण निचली घाटी में होने वाले प्रभाव किसी एकल आपदा के संभावित प्रभाव क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक हो गए।

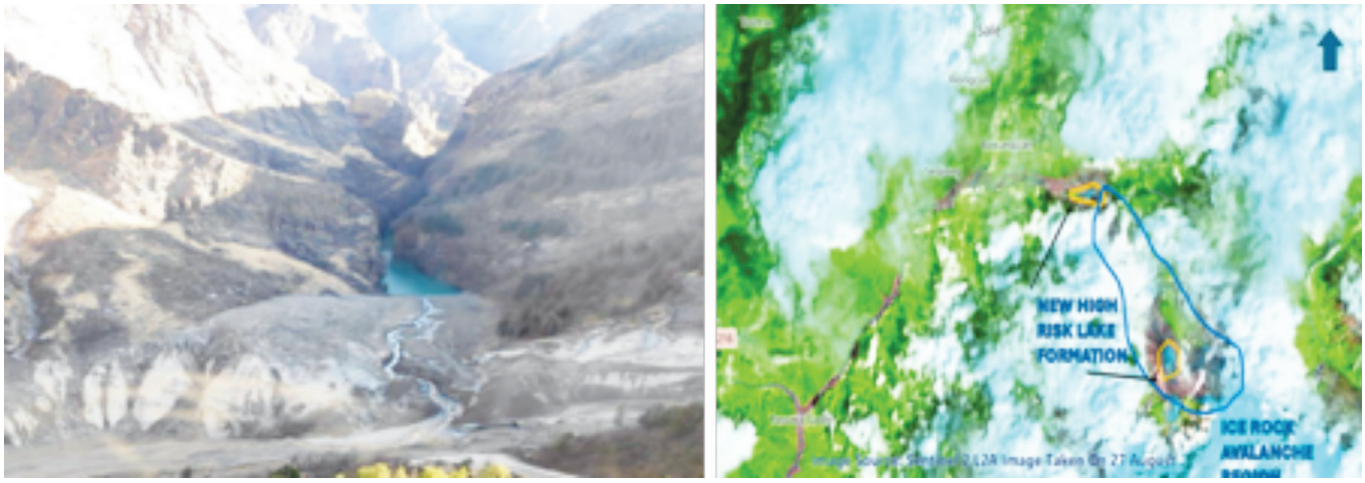

चित्र 2: चमोली, भारत में ऋषिगंगा नदी पर मलबे से बनी अस्थायी झील तथा नेपाल में ल्हेंदे खोला के ऊपर बनी दो अस्थायी मलबा-अवरोधित झीलों को दर्शाता Sentinel-2 L2A उपग्रह चित्रण (27 अगस्त 2026) (स्रोत: संशोधित Copernicus Sentinel डाटा, 2026; श्रवण श्रेष्ठा, ICIMOD) के द्वारा मानचित्र

दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया भर में क्रायोस्फीयर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इसका प्रभाव एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ बड़ी आबादी नदियों के किनारे और उनके आसपास रहती है। ऐसे में बहु-आपदा जोखिम आकलन में सीमा-पार और श्रृंखलाबद्ध आपदा परिदृश्यों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही, आपदा के स्रोत क्षेत्र से संभावित प्रभाव क्षेत्र तक, अंतिम छोर तक प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। अवसंरचना के लिए उपयुक्त और आपदा-रोधी डिजाइन मानकों को अपनाने, बाढ़-मैदान क्षेत्र निर्धारण संबंधी नियमों का सख्ती से निर्माण और अनुपालन सुनिश्चित करने, ग्लेशियरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने और निचले क्षेत्रों में स्थित सभी संवेदनशील बस्तियों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए तत्काल एवं प्रभावी पूर्व तैयारी उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

हिमालय सहित दुनिया के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सतत विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाना तथा दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए वैकल्पिक और हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और पर्यावरण के लिए जीवनशैली मिशन (Mission Life) जैसी पहलों के माध्यम से सतत और पर्यावरण-अनुकूल विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

18वाँ व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम



नाम: श्री सुष्मित बिस्वास
पदनाम: अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार

''एनआईडीएम, विजयवाड़ा में प्राप्त मेरा अनुभव पहले ही मेरे व्यावसायिक कार्यों में उपयोगी साबित हो रहा है।''

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुझे ऐसे दृष्टिकोण और अवधारणाएँ मिलीं, जिन्हें मैं कक्षा से बाहर अपने कार्यों में भी लागू कर सका हूँ। विशेष रूप से, प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Eco-DRR) पर हुई चर्चाओं ने मुझे काफी प्रभावित किया। अगले कुछ महीनों में प्रकाशित मेरे दो समाचार-पत्रीय लेखों में इन अवधारणाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दिया। इस प्रशिक्षण से प्राप्त सीख मेरे संसाधन व्यक्ति के रूप में किए जाने वाले कार्यों में भी उपयोगी रही। कार्यक्रम ने मुझे Eco-DRR को व्यावहारिक अनुप्रयोगों के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें ढलानों की स्थिरता, मृदा अपरदन नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन के लिए रेलवे क्षेत्रों में वनीकरण, प्राकृतिक अवरोध और सूक्ष्म जलवायु नियंत्रण के लिए हरित गलियारे तथा मिट्टी को बाँधने और ढलानों को स्थिर रखने के लिए वेटिवर घास का उपयोग शामिल है।

तीसरा मास्टर ट्रेनर विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम



नाम: श्री योगेश एस. लोणकर
पदनाम: परियोजना विशेषज्ञ, YASHADA, *पुणे*

''एनआईडीएम द्वारा आयोजित तीसरे मास्टर ट्रेनर विकास कार्यक्रम को पूरा करने से प्रशिक्षण सत्र संचालित करने के प्रति मेरे आत्मविश्वास, ज्ञान और पेशेवर दृष्टिकोण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।''

कार्यक्रम के बाद मुझे नई भूमिका और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। मैंने 31 अगस्त से 02 सितंबर 2026 तक महाराष्ट्र के अधिकारियों, जिनमें विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारी भी शामिल थे, के लिए 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके अलावा, मुझे पुणे स्थित YASHADA में MIT, पुणे के विद्यार्थियों के लिए 'आपदा प्रबंधन की अवधारणाएँ एवं भविष्य के अवसर' विषय पर अपना पहला व्याख्यान देने का भी अवसर मिला।

19वाँ व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम



नाम: डॉ. ग़ज़ल सलाहुद्दीन
पदनाम: सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

मैं 19वें व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम के संबंध में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। मैं नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के भूगोल विभाग से डॉ. ग़ज़ल हूँ। इस व्यापक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए एक शानदार अवसर और सौभाग्य रहा। कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा और इससे मुझे आपदा जोखिम प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। इसने मुझे इन अवधारणाओं का गहराई से अध्ययन करने और उनके व्यावहारिक महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया। कुल मिलाकर, यह पाठ्यक्रम मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव रहा और इससे प्राप्त ज्ञान मेरे लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

20वाँ व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम



नाम: विजय कुमार सिंह
पदनाम: मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रामपुर, उत्तर प्रदेश

इस दो सप्ताह के कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के सभी प्रमुख आयामों—जोखिम आकलन और न्यूनीकरण से लेकर प्रतिक्रिया और आपदा जोखिम वित्तपोषण के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया। संवादात्मक सत्रों और IMD, NCS तथा NDRF के ज्ञानवर्धक क्षेत्रीय भ्रमण से जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन को समझने का अवसर मिला। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए आपदाओं के आने से पहले जोखिमों का आकलन करना, समुदायों को सशक्त बनाना और आपदा-रोधी क्षमता विकसित करना आवश्यक है। यहाँ प्राप्त ज्ञान, अनुभव और पेशेवर संपर्क हम सभी के लिए लंबे समय तक उपयोगी और मूल्यवान बने रहेंगे।

5वाँ ITEC व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम



नाम: डॉ. इब्राहिम अली सलीम ज़ैनलाबदीन
पदनाम: विधिक शोधकर्ता, स्थानीय विकास एवं पर्यावरण मंत्रालय, न्यू काहिरा, मिस्र

इस पाठ्यक्रम ने मुझे सीखने, अपने अनुभव साझा करने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। मुझे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए लोगों के साथ संवाद करने का भी अवसर मिला, जिससे नई मित्रताएँ और पेशेवर संबंध विकसित हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें मिले आत्मीय आतिथ्य और सहयोग के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं भारत और NIDM को उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, NIDM के निदेशक और पूरी टीम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सीखने के अनुभव को इतना यादगार और उपयोगी बनाया।

5वाँ ITEC व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम



नाम: अल्हुसैन अलरिक़ायबी
पदनाम: अफ्रीकी मामलों के प्रभारी, राष्ट्रीय आपातकाल, संकट एवं आपदा प्रबंधन केंद्र, लीबिया

मैं इस अवसर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सीख और उपयोगी अनुभवों के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। सितंबर 2023 में लीबिया में एक बड़ी आपदा आई थी। मैंने बताया कि हम उस आपदा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे, विशेष रूप से प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के मामले में। चेतावनी अंतिम जोखिमग्रस्त व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाई थी। इसी कमी को दूर करने और स्वयं के साथ-साथ लीबिया में अपने सहकर्मियों तथा सहयोगियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मैं भारत आया और NIDM के इस पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे इस सीखने के अनुभव और विभिन्न देशों से आए प्रतिभागियों के साथ संवाद करने का अवसर बहुत महत्वपूर्ण लगा। सभी प्रतिभागी अपने कार्य के प्रति समर्पित, लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध और अपने-अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार थे। मैं NIDM की पूरी टीम, संकाय सदस्यों और कार्यक्रम के दौरान हमारा सहयोग करने वाले सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस अनुभव को इतना सार्थक और यादगार बनाया। मुझे यहाँ से महत्वपूर्ण ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसे मैं अपने देश वापस ले जाकर आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने तथा भविष्य में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उपयोग करूँगा।

एनआईडीएम प्रकाशन





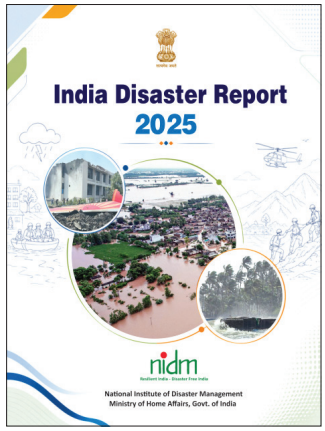

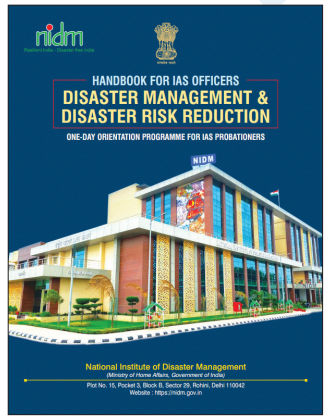

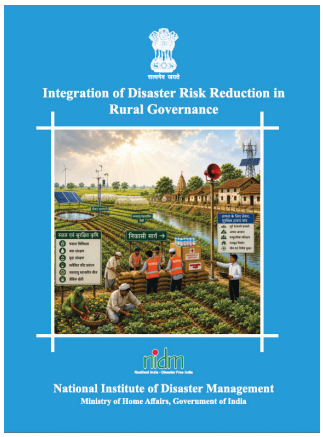

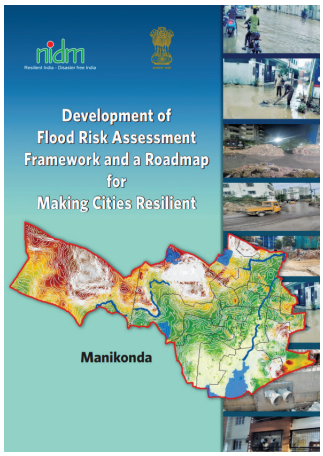

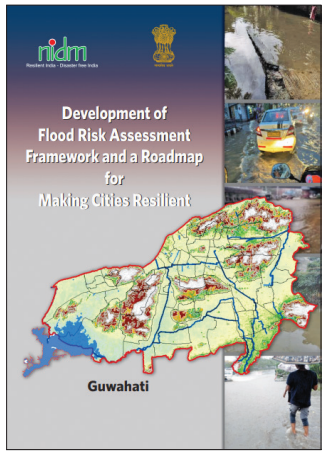



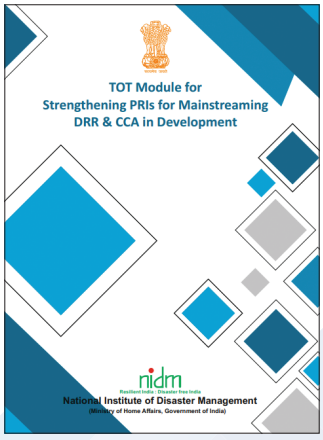

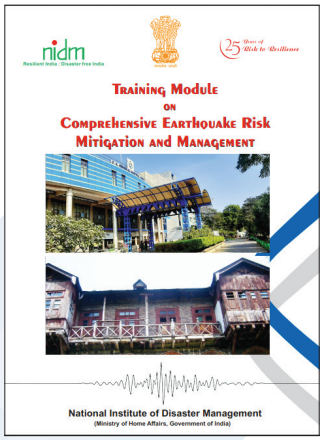

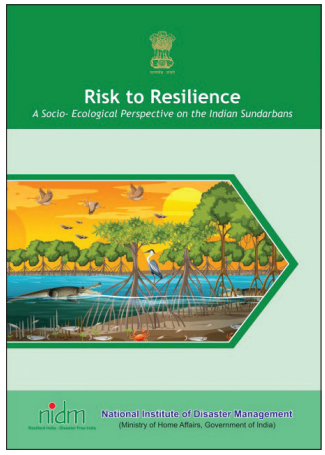

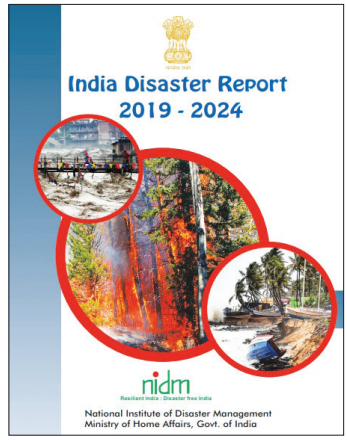

एनआईडीएम की सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री

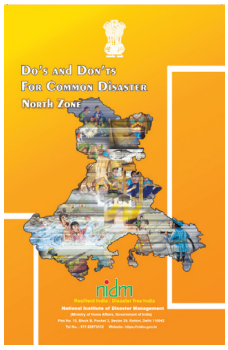

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
उत्तरी क्षेत्र

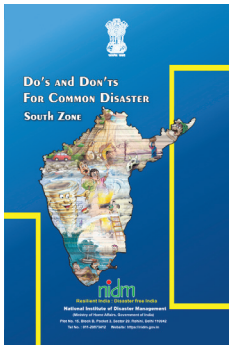

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
दक्षिणी क्षेत्र

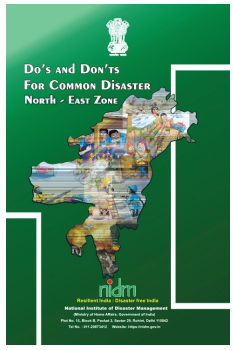

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
पूर्वोत्तर क्षेत्र

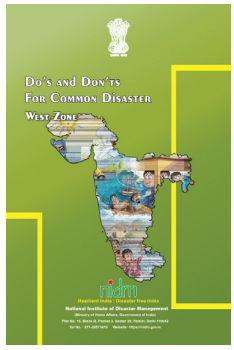

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
पश्चिमी क्षेत्र

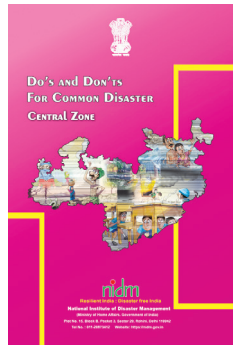

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
मध्य क्षेत्र

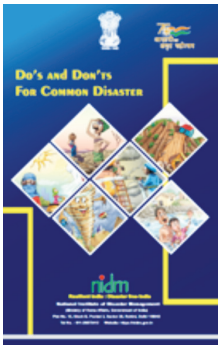

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
अंग्रेजी

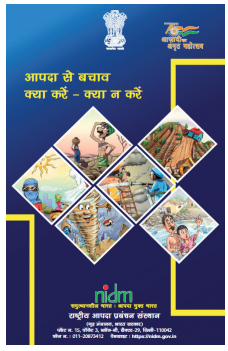

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
हिन्दी



सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
गुजराती

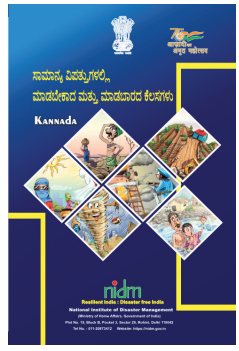

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
कन्नड़

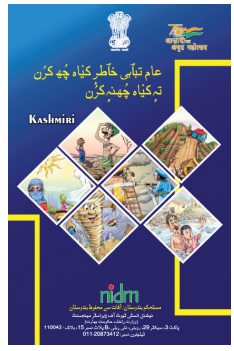

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
कश्मीरी

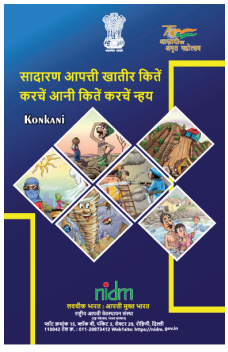

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
कोंकणी



सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
मलयालम

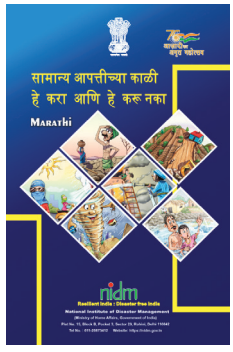

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
मराठी

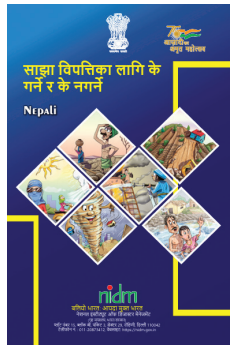

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
नेपाली

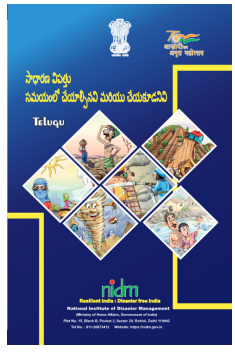

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
तेलुगु

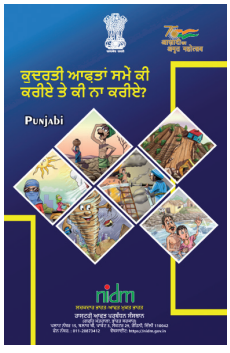

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
पंजाबी

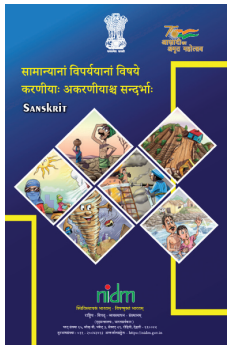

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
संस्कृत



सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
तमिल

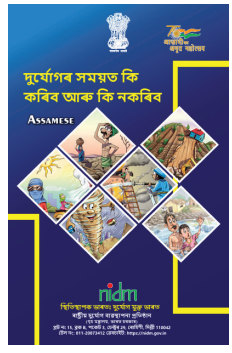

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
असमिया

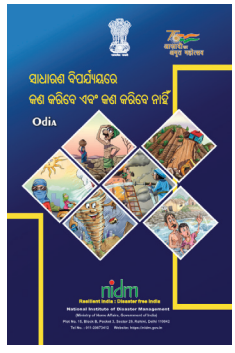

सामान्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें
ओड़िया

एनआईडीएम पोर्टल्स

NIDM Training Portal
https://training.nidm.gov.in/

idrn.nidm.gov.in
India Disaster Resource Network

India Universities and Institutions Network for Disaster Risk Reduction (IUINDRR)
https://iuin-drr.nidm.gov.in/

National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)
https://npdrr.nidm.gov.in/

e-Learning Courses on Disaster Risk Management
https://elearning.nidm.gov.in

Self Study Programme on Disaster Risk Management
https://ssp.nidm.gov.in/

वर्ष 2026–27 के दौरान एनआईडीएम द्वारा आयोजित एवं
प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी के लिए
कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

National Institute of Disaster Management

Ministry of Home Affairs, Government of India

nidm
Resilient India - Disaster Free India

"STAY CONNECTED, STAY INFORMED" - FOLLOW US

SCAN ME

LINKEDIN NIDMMHA

FACEBOOK NIDMMHAINDIA

X NIDMMHAINDIA

INSTAGRAM NIDMMHAINDIA

YOUTUBE NIDMINDIA



nidm

Resilient India - Disaster Free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली-110042

वेबसाइट : www.nidm.mha.gov.in